

**THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION)  
AMENDMENT BILL, 2002**

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

*The question was put and the motion was adopted*

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA : Sir, I introduce the Bill.

---

**THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 2002**

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965.

*The question was put and the motion was adopted*

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA : Sir, I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Prabhakar Reddy to introduce three Bills, but not present.

---

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2001 (to amend the Eighth  
Schedule)**

DR. KARAN SINGH (NCT of Delhi): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

Mr. Chairman, Sir, I am happy that after four postponements, at least, the fifth time, this Bill has been listed in the 'List of Business' and I have an opportunity to present my views. Are you taking cognizance? ...*(Interruptions)*.. All right, Sir, language is a fundamental and irreplaceable vehicle of speech, articulation and communication for the human race. It is the development of language that has made human civilisation possible over the millennia. One of India's glories is its pluralism in religion, in dress, in cuisine, in architecture and in language. There is no other country in the world, Sir, which can boast of creative literature in 30 different languages. It would mean the whole of Europe, from Norway to Greece and from Poland to Portugal, may not be able to produce 30 languages. But India with its glory of linguistic traditions, going back from Sanskrit from the very dawn of

history to Tamil and all the other great languages, produces remarkable literature...*(Interruptions)...*

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (सुश्री उमा भारती)** : सर, मुझे माननीय सदस्य से एक निवेदन करना है कि आप डोगरी भाषा के लिए बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, साथ ही आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं तो फिर आप हिंदी में बोलिए न। डोगरी भाषा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप अंग्रेजी का सहारा क्यों ले रहे हैं?

**डा. कर्ण सिंह** : मैं बीच में हिंदी में बोलूँगा। ...*(व्यवधान)...*

DR. KARAN SINGH: Let me make my point. Not only are we proud of our own languages, we share them with our neighbours. We share Urdu with Pakistan, we share Nepali with Nepal, we share Bengali with Bangladesh and we share Tamil with Sri Lanka. So, India is a unique linguistic entity. We share English with the rest of the world. That is why our Constitution recognises many languages. Sir, in the VIII Schedule of the Constitution, we began with 14 languages. Then Sindhi was added way back in 1964. Then in the last Constitution Amendment Bill, Konkani, Manipuri and Nepali were added. हमारी समूराल की भाषा तो आ गयी, लेकिन हमारी मातृभाषा नहीं आई। Each one of these languages reflects a special facet of our multisplendoured cultural heritage. As the Chairman of the Jnanpeeth Selection Committee, I had occasions to interact with all the great languages of India. I have been succeeded in that by my esteemed friend, Dr. L. M. Singhvi, whose Bill in fact, is closely following mine. We have people here Dr. C. Narayana Reddy, Dr. K. S. Duggal and other great litterateurs in this House. The other day I mentioned that Rashtrakavi Ramdhari Singh 'Dinkar' was a Member of this House. Gangababu and many other great figures in various languages, South Indian languages, and North Indian languages, have been Members of this House. Each language group is proud of its language. Sir, the Dogra community, as you are well aware, has made an outstanding contribution to this nation. First and foremost, the formation of the composite State of Jammu and Kashmir, stretching from the foothills of Punjab all the way up into the heart of the Central Asia, including Gilgit, Balkistan, Ladakh, Mirpur, Muzaffarabad, all the Jammu Hill State and the Kashmir Valley, the creation of this composite State of Jammu and Kashmir in the middle of the 19<sup>th</sup> century was a great contribution by the Dogras to national unity and national integrity. Sir, today we are proud to say that Kashmir is part of India. But it should be remembered that it is largely because of the creation of the State of Jammu and Kashmir, that these areas today have become part of India, whether it is Ladakh, whether it is those areas which are not directly under our control.

And this was done by Maharaja Gulab Singh, by General Zorawar Singh, by General Baaj Singh, by Mehta Basti Ram-great names - whose role in history will always be remembered. Sir, in the defence of this country, the Dogras have played an extremely valuable and valiant role, whether it is in the old Jammu Kashmir State Forces or the Jammu and Kashmir Regiment or the Jammu and Kashmir Light Infantry or the Dogra Regiments or the other formations of the Indian Army, the Navy and the Air Force, you will find lakhs of Dogras over the last 50 years have been there as a shield to take the first brunt of the invasion of our country.

Because it is invariably Jammu and Kashmir where the first brunt of aggression takes place and they have covered themselves with glory. I do not have to go into the history. Even in the Kargil war, the Dogra Regiment did outstanding work. Not only in the field of Defence Forces but also in the field of art. For example, the schools of pahadi art, whether they are in Poonch or Jammu or Basoli or Gulair or Kangra, wherever you go in the world, Sir, you will see pahadi art and the Dogran artists there. And, in the course of the small Dogra princes, at that time, some of the great works of world art were produced. And, even today, there is this tradition and these paintings are very widely praised and are of great value.

Sir, Dogra land has produced great musicians. Ustad Allah Rakha Khan was a Dogri; and Zakir Hussain is a Dogri. Let me clarify, Dogra is a geographical entity. There are Dogran Hindus of all castes. There are Dogran Muslims and Sikhs. For example, Ustad Allah Rakha Khan, Zakir Hussain, Pandit Shiv Kumar Sharma; in the film world, Ramanand Sagar and Ved Rahi, in every field, the Dogras have done extraordinarily well. It is, therefore, a glaring omission that in the Eighth Schedule, a language spoken by about one crore people in Jammu and Kashmir, in Himachal Pradesh and in, at least, two of the districts of Punjab -- Gurdaspur and Hoshiarpur -- which are bordering on Jammu and Kashmir, where the Dogra Regimental Centre's recruitment takes place, Dogri is spoken, has not been included.

It has a strong literary tradition. An impressive history. A corpus of published work -- poetry, drama, prose, novels, translation of classics. And, Sir, it has been recognised as a modern Indian language by the Sahitya Akademi, way back in 1969 under the Chairmanship of Dr. Suniti Kumar Chatterjee. Since then, the Sahitya Akademi has awarded over thirty writers and various awards, including Padma Awards to writers, to litterateurs and to poets. There is a strong literary movement. There are

Dogri literary bodies which are functioning. The Dogri Sanstha, the Dogra Mandal, the Dogra Manch, the Dogra Sabha and so on. Radio and television news are also now coming in Dogri. Dogras are a linguistic minority in the State of Jammu and Kashmir. Therefore, there is a directive in our Constitution that there should be an adequate provision and facilities for linguistic minorities. Sir, Dogri is taught at school and university level in the Jammu region. It is recognised under Jammu and Kashmir Constitution, as one of the languages. As you know, in Jammu and Kashmir, the regional language is Urdu but the mothertongues are Kashmiri, Dogri, Punjabi, Ghojri, Ladakhi and so on. In the past we have received several assurances from the Government. The Dogri Sangharsh Morcha delegation met with the hon. Prime Minister, some months ago and also gave him a memorandum in this respect. The Jammu and Kashmir Government strongly supports the inclusion of Dogri in the Eighth Schedule of the Constitution. All parties, whether it is the National Conference or the BJP or the Congress, in Jammu and Kashmir, are unanimous in their support that Dogri should be included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. So, what is the problem? हिन्दी भाषी हमारे जो मित्र हैं, उनसे मैं विशेषकर दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने हिन्दी का प्रचार देश-विदेश में किया है। द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन जब हुआ, उमा जी, सन् 1976 में, भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े बड़े दिग्गज थे - फादर कामिल बुल्के थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, गंगा बाबू थे, भद्रानी बाबू थे, बड़े-बड़े दिग्गज थे और उस समय हमारे परम मित्र बालकपि बैरागी जी भी हमारे साथ थे।

और पहली बार, सभापति जी, अंतरिक्ष में हमने हिन्दी का प्रचार किया। आप पूछेंगे कैसे? हम एयर इंडिया के जहाज में चल रहे थे, तो विद्यार आया कि इतने कवि इकट्ठे हुए हैं, बजाए इसके कि केवल बैठे रहें क्यों नहीं अंतरिक्ष में एक कवि-सम्मेलन किया जाए। तो जहां से एयर होस्टेस बोलती हैं, हमने अनुरोध किया कि हर कवि वहां जाकर अपनी कविता का पाठ करे। मुझे लगता है कि पहली बार 30,000 फुट की ऊंचाई पर एक कवि-सम्मेलन हुआ। तो हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में हम लोग अग्रसर रहे हैं। हिन्दी वालों को कोई डर नहीं होना चाहिए कि डोगरी भाषा के 8वें शैड्यूल में आने से हिन्दी भाषा को कोई हानि होगी। हिन्दी तो राष्ट्रभाषा है, बड़ी विस्तृत और समृद्ध भाषा है और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषियों को तो डोगरों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हिन्दी का क्या होगा? हिन्दी तो बढ़ती चली जा रही है, करोड़ों व्यक्ति देश में हिन्दी बोलते हैं। इस देश में डोगरों की अपनी एक संस्कृति है, अपना इतिहास है, उनकी अपनी उमांगें हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोगरा कन्युनिटी की इस प्रकार से अवहेलना करना डोगरा लोगों के साथ एक अन्याय है।

सभापति जी, बड़ी कठिनाई के बाद यह बिल आया है, चार बार से हर शुक्रवार को कोई न कोई ऐसी ग्रह-दशा आती थी कि या तो हाउस उठ जाता था या कोई और घटना हो

जाती थी जिसके कारण यह बिल नहीं आ पाता था। आज सौभाग्य से यह बिल आ गया है, मैं इसमें और विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि आजादी के 50 साल के बाद किसी भाषा का हक बनता है कि वह 8वें शैड्यूल में आए तो वह डोगरी भाषा का हक बनता है। मैं सरकार से इस बारे में एक पूरा अश्वासन चाहता हूँ कि वे इसी वर्ष, शीघ्रातिशीघ्र एक संविधान-संशोधन बिल लाएंगे और डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में शामिल करेंगे। मैं सदन के समस्त साथियों से, चाहे उनकी मातृभाषा कोई भी हो, विनम्र अनुरोध करूँगा कि वे अपने डोगरा भाषियों को न भूलें जो आज से नहीं सदियों से उत्तर में बैठकर इस देश की ढाल बने हुए हैं। डोगरा और पंजाबी, दो कम्युनिटी ऐसी हैं जो भारत माता की ढाल बी हुई हैं क्योंकि यहीं से हमेशा आक्रमण होता है। इतना बलिदान देने के बाद भी डोगरा कम्युनिटी की डोगरी भाषा के साथ अन्यथा होना बड़ा गलत है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बिल सर्वसम्मति से पास होगा और इस बारे में सरकार शीघ्रातिशीघ्र एक संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। धन्यवाद।

*The question was proposed.*

MR. CHAIRMAN: Now, the Bill is open for discussion. Shri Moolchand Meena.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : सभापति जी, इस सदन के सदस्य डा० कर्ण सिंह जी ने डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए जो बिल पेश किया है, इस बिल का मैं तहेंदिल से समर्थन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश की आजादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। हमारे देश के गाँवों में कहावत है कि 'हमारे देश में सौ-सौ कोस पर भाषा बदलती है' क्योंकि इस देश में अनेक भाषाएं हैं। आजादी के समय संविधान सभा का गठन किया गया था और 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, उसके बाद एक-एक करके कई भाषाओं को मान्यता देते हुए आज उनकी संख्या 18 हो गई है। इसलिए डोगरी भाषा हो, राजस्थानी भाषा हो या ब्रज भाषा हो, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन भाषाओं का साहित्य है, जिनका देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान रहा है, जिनके कई उपन्यास एवं कहानियां रही हैं और जिन्होंने समाज और देश के लिए योगदान दिया है, उन्हें संविधान के 8वें शैड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। जब हम डोगरी भाषा की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहां की राज्य सरकार ने तो उसको मान्यता दे रखी है, वहां यह स्कूल-कालेजों में पढ़ाई जाती है किर उसको राजभाषा भानने में क्या दिक्कत है? जम्मू-कश्मीर में तो राज्य सरकार ने इसे मान्यता दे रखी है लेकिन दूसरे प्रान्तों में इसको मान्यता नहीं है, इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए जिससे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दूसरे प्रान्तों के लोग भी इसका उपयोग कर सकें। इसलिए डा० कर्णसिंह जी को आवश्यकता हुई कि वे इस बिल को यहां लाए। महोदय, इस भाषा और इसके साहित्य का शिक्षण और अनुसंधान अनेक विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। साहित्य अकादमी ने डोगरी साहित्य के कई लेखकों को पुरस्कृत भी किया है। यदि इस भाषा को मान्यता दी जाती है तो लाखों-करोड़ों लोगों को महसूस होगा कि हम भारत जैसे देश के अंदर रहते हैं जिसने हमारी भाषा को भी महत्व दिया है। इससे लोगों को प्रसन्नता होगी। महोदय, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से कई बार अनेक प्रतिनिधिमंडल मिल चुके हैं। चाहे वे किसी भी दल के प्रतिनिधिमंडल रहे हों, चाहे वे नेशनल कानफ्रेंस के हों, चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे वे बी.जे.पी. के हों, रामी प्रतिनिधिमंडलों ने इसकी घकालत की है।

सभापति महोदय, डोगरी भाषा का अपना महत्व रहा है। सीमा पर हमारे जो प्रांत हैं, डोगरी भाषी लोगों ने सीमा पर तैनात सेनिकों के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। मैं मानता हूँ कि यदि इस भाषा को मान्यता दी जाती है तो इसका कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जिन भाषाओं को मान्यता देने की मांग काफी समय से चल रही है, उन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, उन्हें मान्यता दे दी जाए। मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ।

**श्री कृष्णपाल परमार (हिमाचल प्रदेश) :** सभापति महोदय, मैं डा. कर्णसिंह जी द्वारा प्रस्तुत इस प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संयोग से मैं हिमाचल प्रदेश के उस भाग से संबंधित हूँ जिसमें इस भाषा का प्रभाव है। अगर यह भाषा किसी राज्य की सीमा में बंधकर रह जाती तो शायद डा. कर्णसिंह जी को आज राज्यसभा में यह बिल न लाना पड़ता। लेकिन पिछली कई सदियों से इस भाषा का प्रचार और प्रसार इस प्रकार हुआ कि इसे न तो रियासत की ओर न ही राज्यों की सीमाएं बांध पाई। यह भाषा जम्मू-कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर और पंजाब के गुरदासपुर और होशियारपुर जिलों तक पहुँच गई। इसी आधार पर जब भारतीय सेना में डोगरा रेजीमेंट की भर्ती होती है तो वह केवल जम्मू के लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरा इलाका जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, सभी धर्मों और जातियों के लोग जो इस भाषा को बोलते हैं, उनको डोगरा रेजीमेंट में भर्ती किया जाता है। डोगरों का ऐसा इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा ही हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनको आहे भारत की किसी भी सरहद पर तैनात किया गया, चाहे किसी भी लड़ाई में भेजा गया, उन्होंने अपने शौर्य और बहादुरी के झड़े हिंदुस्तान की हर सरहद पर फहराए हैं। मैं यह मानता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है, उसी प्रकार डोगरी भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल न किया जाए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाए और संविधान में संशोधन करके डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) :** सभापति महोदय, अस्मिता का प्रश्न आज के युग में एक केन्द्रीय मानवीय प्रश्न है। जिस काल में वैश्वीकरण के झंझाकातों से मानव जीवन की तमाम वैविध्यमय विशिष्टताओं को एक सा बनाने का तांडव चल रहा हो, उस समय छोटी-छोटी अस्मिताओं की रक्षा की यह लड़ाई घनघोर अंधेरे में दिए की लौ की तरह टिमटिमाती हुई हमें आशान्वित करती है और एक नयी आशा देती है।

एक नई आशा देती है। सभापति महोदय, भाषाई राजनीति और अस्मिता की राजनीति, Politics of identity के तमाम प्रतिक्रियाकारी रूपों के प्रति पूरी तरह सतर्क रहते हुए आज जब हमारे मानवीय कर्ण सिंह जी सदन में डोगरी की तरह की एक खूबसूरत भाषा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे भारत के वैविध्यमय रूप की रक्षा करने के लिए यह एक लड़ाई का हिस्सा है। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीति चलाई जा रही है वह राजनीति तथाकथित विकास के नाम पर तो नए राज्यों के निर्माण का स्वागत करती है लेकिन भाषायी आधार पर सांस्कृतिक वैविध्य के आधार पर निर्मित भारत के भाषायी राज्यों को स्वीकार करने से इंकार करती है। हिन्दुत्व की राजनीति भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का हमेशा से विरोध करती रही है और इस बात से

इंकार करती रही है कि भारतीय राष्ट्र कई जातीय समूहों का एक स्थेचिक संघ है। यह हिन्दुत्व की राजनीति साम्राज्यवादियों की वैश्वीकरण की मुहीम का ही एक क्षेत्रीय संस्करण है जो भाषा, धर्म और संस्कृति के मामले में भारत की विविधता से इंकार करती है। ऐसे समय में डोगरी जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लगभग एक करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसके साहित्य की एक लम्बी और समृद्ध परम्परा रही है, उस डोगरी भाषा को संरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। जहां तक इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने का सवाल है, इसके तमाम पहलुओं पर भी गहराई से विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, भारत में इस प्रकार के छोटे-छोटे जातीय समूहों की भाषा को संरक्षण देकर उन्हें विकसित करने की मांग का हमेशा से वामपंथी आंदोलन समर्थन करता आया है। लम्बी लडाई के बाद ही हम पश्चिमी बंगाल के अपने पर्वतीय जिलों में नेपाली भाषियों की नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने में सफल हुए थे। 21 फरवरी के दिन को युनेस्को के आवान पर मातृ भाषा के दिवस के रूप में सारी दुनिया में मनाया जाता है। इस 21 फरवरी को युनेस्को के महासंचिव कोइचिरो मारसुरा ने अपने एक बक्तव्य में बताया है कि आज दुनिया की लगभग 3000 भाषाएं खतरे में पड़ी हुई हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। पूरे विश्व में बोली जाने वाली 6000 भाषाओं में से 3000 भाषाओं का अस्तित्व खतरे में हो गया। जाहिर है कि हमारे लिए, मानव समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। महोदय, हर भाषा मनुष्य के होने का सबब है। एक ऐसी जिन्दा विरासत है जिसकी हमें अवश्य रक्षा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संस्था ने इस सिलसिले में विश्व की भाषाओं पर खतरे को बताने वाले एटलस के दूसरे संस्करण और विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया है कि किसी भी समुदाय की भाषा तब खतरे में पड़ती है जब कम से कम 30 फीसदी बच्चे उस भाषा को सीखते ही नहीं हैं। भाषा पर खतरे का एक बड़ा कारण यह भी होता है जब उसके बोलने वाले किसी दूसरी और कहीं ज्यादा आक्रामक और आर्थिक रूप से समृद्ध भाषा के सम्पर्क में आते हैं। लागे अपने बच्चों को खास तौर पर नौकरियां पाने के लिए इस प्रकार की हावी संस्कृति की भाषा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और यह हमारे रोजमर्रा का अनुभव है। युनेस्को ने बताया है कि यूरोप में दमनकारी नीतियों के कारण वहाँ की लगभग 50 भाषाएं खतरे में हैं। अकेले प्रांत में 14 भाषाओं पर संकट आन पड़ा है। सभापति महोदय, यहां गौर करने लायक बात यह है कि दुनियां के जो देश मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे आगे हैं मसलन स्कैंडिनेवियन कन्न्यून, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा स्विट्जरलैंड इन देशों ने अपने बहुभाषावाद को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि जो देश मानव सूचकांक के पर्दे पर आगे हैं, वह किस तरह अपनी भाषा के प्रति जागरूक हैं। सभापति महोदय, कहने की जरूरत नहीं कि किसी भी मातृ भाषा का दमन उस भाषा को बोलने वाले मनुष्यों की सांस्कृतिक हत्या है। यदि हम भारत के इस वैविध्यमय सांस्कृतिक रूप को अपनी मूल्यवान धरोहर समझकर मानते हैं तो वे इसके प्रति संथेत रहते हैं। इसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी मैं समझती हूं कि हम तमाम भारतीय भाषाओं की रक्षा कर पाएंगे। डोगरी को, जिसको जम्मू-कश्मीर में प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जम्मू के स्कूलों में बच्चों को पढ़ायी जाती है। कर्ण सिंह जी ने बताया कि वहाँ युनिवर्सिटी तक मैं भी पढ़ाई जाती है। जम्मू कश्मीर कला-संस्कृति अकादमी नियमित रूप से डोगरी में पुस्तकों का प्रकाशन करती है। इस भाषा में सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों के लिए वार्षिक पुरस्कार दिये जाते हैं और साहित्य प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, 1967 में डोगरी का पहला शब्दकोश प्रकाशित हुआ था जिसमें इसकी दोनों मुख्य बोलियों - पश्चिमी और पूर्वी के 33,000 शब्द संकलित किये गये थे। 1970 में पहले

अखिल भारतीय डोगरी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगस्त 1969 में ही साहित्य अकादमी ने डोगरी को एक स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। ये तभाम तथ्य इस भाषा की शक्ति और विस्तार को बताने के लिए काफी हैं। इसलिए मैं इस भाषा को और संरक्षण देकर इसे विकसित करने का समर्थन करती हूँ। यह सच है कि भारत एक बहुभाषी देश है लेकिन इतना भी बहुभाषी नहीं है जितना हमारे भाषाशास्त्रियों द्वारा बताया जाता रहा है कि भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। ग्रियर्सन ने तो लिखा भी था कि हर दस कोस पर भाषा बदलती है लेकिन मैं इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं पेंडिल नेहरू के इस विचार से सहमत हूँ कि लोक शिक्षा के अभाव के कारण भी बहुत सी बोलियां पैदा हो जाती हैं अन्यथा हकीकत यह है कि भाषा की दृष्टि से भारत अनोखे ढंग से और अच्छी तरह से गुण्ठा हुआ देश है। भाषा की संख्या या बहुभाषित भाषायी झगड़ों का कारण कभी नहीं हुआ करती है। बैल्जियम, कनाडा और श्रीलंका के उदाहरण लिये जा सकते हैं। उन देशों में सिर्फ दो भाषाएं हैं। बैल्जियम में फ्रांसीसी भाषा है और बालून निवासियों की भाषा है। कनाडा में फ्रेंच कनाडियन और एंग्लो कनाडियन हैं। श्रीलंका में सिंहली और तमिल हैं। सिर्फ दो भाषाएं होने पर भी यहां भाषायी समूहों के बीच किस तरह तनाव बने हुए हैं, इस सबसे हम अच्छी तरह परिचित हैं। जबकि दुनिया में ऐसे बहुत से बहुभाषी समाज हैं, जहां कोई भाषायी तनाव नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्टिट्जरलैंड है। इसलिए भाषाओं की संख्या के आधार पर अलग अलग भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनावों की कभी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अलावा हमें बोलियों और भाषाओं के बीच की समस्याओं पर भी गौर करने की जरूरत है। विशाल हिंदीभाषी क्षेत्र पर जब हम गौर करते हैं - क्योंकि कर्ण सिंह जी ने हिन्दी का सवाल उठा ही दिया है तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगी कि विशाल हिन्दीभाषी क्षेत्र पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सामंतवाद के जमाने में यहां बृज, अवध, बुदेलखण्ड, मिथिला आदि कई छोटे छोटे जातीय समूहों द्वारा आवासित अंचल थे लेकिन पूँजीवाद के विकास के साथ साथ इन अंचलों का अलगाव खत्म होता गया और इन छोटे-छोटे जातीय समूहों ने आपस में मिलकर एक हिंदीभाषी जाति का निर्माण किया है। आज भी हिंदी भाषी जाति के विकास की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है इसलिए इस क्षेत्र में भाषा और बोली का सवाल बना हुआ है। लेकिन काफी पहले से ही यह ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। तभाम बोलियां भी कालक्रम में यदि भाषा का रूप अखिलयार कर लेती हैं तब भी हिंदी जाति के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्ण सिंह जी को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ क्योंकि एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बीच से हिन्दी जाति का विकास हुआ है डोगरी हिन्दी के लिए कहीं कोई खतरे का कारण नहीं है बल्कि मैं यह समझती हूँ कि वह एक सहयोगी भाषा रही है और भविष्य में भी रहेगी। इसलिए मैं किसी भी उपजातीय समूह या बोली के अस्तित्व को जातीय समूह के हितों के विरुद्ध नहीं मानती हूँ। जो लोग डोगरी के विकास की मांग को हिंदी विरोधी समझते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें भाषा को हर बंधन से मुक्त करना चाहिए क्योंकि भाषा में लय है, जीवन की हलचल है। अगर हमें जीवन की हलचल को बरकरार रखना है, जीवन की विधियों को बरकरार रखना है तो भाषा की हलचल को भी हमें बरकरार रखना होगा। मैं कर्ण सिंह जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) :** धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। ज्ञानी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे बात करने के लिए अवसर दिया है। मैं डाक्टर कर्ण सिंह जी को बधाई देता हूँ कि लम्बी तपस्या के बाद कम से कम यह दिन हमें उपलब्ध हो

गया कि हम इस सदन में इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए और यह प्रस्ताव विचारार्थी आ गया। माननीय सभापति महोदय, आपने जब मेरा नाम पुकारा तो मैं एक विशेष संधि स्थल पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं।

इस समय हम डोगरी पर बात कर रहे हैं और ठीक इस प्रस्ताव के बाद जो संशोधन आ रहा है, वह डॉ.एल.एम.सिंघवी जी का है जो राजस्थानी भाषा के संबंध में है। उनकी भी यही मांग है जो डॉ.कर्ण सिंह जी की मांग है। मैं इस संधि-स्थल पर खड़ा होकर इधर-उधर दोनों तरफ देखता हूं तो मुझे दो मनीषी दिखाई देते हैं डॉ. कर्ण सिंह और डॉ.एल.एम.सिंघवी जिनका स्थान देश के उच्च कोटि के विचारकों, सांस्कृतिक पुरुषों और मनीषियों में गिना जाता है। इन दोनों के मध्य बोलकर मैं अपने आपको धन्य महसूस करता हूं। जहां तक डॉ. कर्ण सिंह जी ने डोगरी के बारे में बात कही है, वहन सरला माहेश्वरी ने जो प्रमुख भाषण दिया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने काफी अध्ययन किया है, होमर्वक किया है और उसके पश्चात ही वे यहां बोलने के लिए आई हैं। उन्होंने बहुत तर्क और इतिहास के साथ अपनी बात को रखा है।

सभापति महोदय, शुरू में हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, आज हमारे पास 18 भाषाएं हैं और यदि हम इन दो भाषाओं, डोगरी और राजस्थानी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो हम 20 भाषाओं वाले एक पृष्ठ से वाकिफ हो सकेंगे और सारा देश उससे वाकिफ हो सकेगा। मुझे केवल दो-चार बातें कहनी हैं, लंबा भाषण देने की भेरी स्थिति है लेकिन समय नहीं है और मैं इस सदन का समय इसमें खर्च नहीं करूँगा। मैं सुख्यतः अपनी बातें बहुत छोटे-छोटे मुद्दों पर निवेदन कर दूँगा। एक मूल बात तो यह है कि इन्हें बड़े संविधान में जिसमें सैकड़ों पृष्ठ हैं जिसके भीतर कई अध्याय हैं, जिसके भीतर कई परिशिष्ट हैं, उसमें हमसे मांगा क्या जा रहा है? हमसे मांगा जा रहा है केवल एक पृष्ठ पर एक शब्द। ऐसा लगता है कि सिंहासन नहीं मांगा जा रहा है, बृहस्पति की मृगछाला पर सिर्फ एक आशीर्वाद का प्रणाम हमसे मांगा जा रहा है। यदि हम आठवीं अनुसूची में इन भाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम इन भाषाओं पर कृपा नहीं करते हैं वरन् संविधान को अधिक समृद्ध, अधिक धनी और अधिक सम्पन्न बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें हमें न तो कृपणता करनी चाहिए, न कंजूसी करनी चाहिए।

महोदय, डोगरी में हम प्रतिवर्ष पुरस्कार देते हैं। कम से कम दो कवियों के नाम तो सारा देश जानता है कि ये डोगरी में लिखने वाले कवि हैं। बाकी दूसरे लोगों के नाम भी बताए हैं, बड़े-बड़े लोगों के नाम बताए हैं लेकिन दो नामों से हम सब परिचित हैं। डोगरी के एक कवि का नाम है डॉ.कर्ण सिंह जो कि स्वयं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक है, उनको सारा देश जानता है, विदेश जानता है और जैसा उन्होंने बताया कि उस कवि सम्मेलन में पहली कविता मैंने पढ़ी थी "अंतरिक्ष में", इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने हिंदी के मामले में कभी भी किसी से कोई समझौता नहीं किया। दूसरी हमारी एक बहन कवयित्री हैं पश्चा संघदेव जिनको हम कई बार पुरस्कृत कर चुके हैं और जिनके डोगरी लेखन पर हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्व होता है। हम उनका नाम बड़े हर्ष के साथ उल्लेख करते हैं। इन दो कवियों ने ही डोगरी के इतिहास को बहुत आगे बढ़ाया है। यदि हम आठवीं अनुसूची में डोगरी को स्थान देते हैं तो मेरा स्पष्ट निवेदन यह है, चूंकि मैं हिंदी क्षेत्र से हूं और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हिंदी को कोई खतरा नहीं है, हम खुद स्वीकार करते हैं कि डोगरी या राजस्थानी से हिंदी को कोई खतरा नहीं है। सभापति महोदय, मैं किसी भाषा के बारे में लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता लेकिन आज अगर देश में देखें तो हिंदी की पाठ्यन शक्ति पहले से बढ़ गई है। सब मानेंगे इस चीज़ को कि हिंदी की पाठ्यन शक्ति बढ़ गई

है और यदि पाचन शक्ति पर प्रहार होता तो हम लोग कहीं बीच में आकर खड़े हो जाते कि ऐसा मत करो। लेकिन यह तो पाचन शक्ति को बढ़ाने का नुस्खा हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। महोदय, पांच जगह हिंदी आकार ले रही है। आप सब अपनी आंखों से देखते हैं, रोज देखते हैं। दक्षिण भारत में एक नई हिंदी शब्द ले रही है तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ से, मलयालम से और संस्कृत से। इन पांच भाषाओं से शब्द लेकर एक नई हिंदी वहाँ तैयार हो रही है। एक हिंदी आकार ले रही है पश्चिम में जो शब्द ले रही है कौंकणी से, मराठी से, गुजराती से और दूसरी सहवर्ती भाषाओं से और वहाँ एक नई हिंदी तैयार हो रही है। एक हिंदी तैयार हो रही है पूर्व में जो बंगला से शब्द ले रही है, असमिया से ले रही है, उडिया से ले रही है, दूसरी भाषाओं से ले रही है, पहाड़ की भाषाओं से ले रही है और एक नई हिंदी तैयार हो रही है। एक हिंदी तैयार हो रही है उत्तर में जो कश्मीरी से शब्द ले रही है, डोगरी से ले रही है और क्षमा करें, उदूँ से शब्द ले रही है और इस प्रकार की भाषाओं से एक नई हिंदी तैयार हो रही है लेकिन माननीय सभापति महोदय, डॉ. कर्ण सिंह जी इस डर को अपने मन से निकाल दें कि आपके कारण हिंदी का नुकसान हो जाएगा। कर्तव्य नहीं होगा क्योंकि जो पांचवीं हिंदी तैयार हो रही है, वह बीच के भारत में तैयार हो रही है और वह शब्द किससे ले रही है? यह अंग्रेजी से शब्द ले रही है और अंग्रेजी का इस देश में सबसे बड़ा जाल कौन सा है?

दो मलयालम वाले मिलते हैं तो मलयालम में बात करते हैं, दो उडिया वाले मिलते हैं तो उडिया में बात करते हैं, दो असमिया मिलते हैं तो असमी में बात करते हैं, दो गुजराती मिलते हैं तो गुजराती में बात करते हैं, दो कश्मीरी मिलते हैं तो कश्मीरी में बात करते हैं, दो डोगरी मिलते हैं तो डोगरी में बात करते हैं लेकिन सभापति महोदय, जहाँ दो हिन्दी वाले मिलते हैं तो वे अंग्रेजी में बात करते हैं। यह आप सब देखते हैं, हम जानते हैं। आप देखते होंगे कि हमारी भाषा का सम्मान हमें किस मुकाम पर, मोड़ पर लाकर खड़ा कर दुकान है। ऐसे में हम यदि डोगरी को..(यवधान)...जनता के बारे में हम क्या बात करें सरला बहिन, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम लोग जिन रेलों में सफर करते हैं वहाँ किस तरह से अंग्रेजी और हिंदी का सम्मिलन देखते हैं। डा. साहब से मैं यह आग्रह करूँगा कि हिंदी को डरने की आवश्यकता नहीं है, न तो राजरथानी से और न ही डोगरी से। यदि हम इन भाषाओं को यहाँ स्वीकार करते हैं, चूंकि आई.डी. स्कामी जी यहाँ नोट्स ले रहे हैं, टिप्पणी ले रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ स्कामी जी, आगर पड़ित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भी हम इसे उपलब्ध नहीं करा पाए तो मुझे बताइए कि इस देश में ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो संविधान में इन एक या दो शब्दों को लिख देगी? अटल बिहारी जी को तो स्वयं अपनी ओर से रुकका भेजना चाहिए था, आडवाणी जी को स्वयं अपनी ओर से रुकका भेजकर कहना चाहिए था। यहा॒ं हम दिना किसी बात के इन दोनों भाषाओं को समर्पित सूची में रखने को तैयार हैं। इससे किसी को खतरा नहीं है, किसी भाषा को खतरा नहीं है, किसी को डर नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन ने सर्वसम्मति से, निश्छल मन से, अपनी संपूर्ण भाषायी आरथाओं के साथ, संस्कृति के साथ बात कही है। सभापति महोदय, ईश्वर ने गाय को चार स्तन दिए हैं और चारों स्तनों से दूध आता है लेकिन चारों स्तनों के दूध का स्वाद एक जैसा होता है। वही हालत हमारी भारत की भाषाओं की है। ये भारत माता की दुग्धप्रण भाषाएँ हैं कि जहाँ से भी आप जिस भाषा को लेंगे उसमें आनन्द ही आनन्द है, रस ही रस है, मिटास ही मिटास है, उसमें कहीं दुराद नहीं है, भाषा-संस्कृति में कहीं नहीं है। मैं समर्थन से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चार चीजों से हम किसी देश, प्रदेश को पहचानते हैं।

वे यार चीजे हैं - भाषा, भूसा, भोजन और भवन। इन यार चीजों से हम किसी देश को पहचानते हैं। माननीय सभापति जी, यदि हमारे पास दस, बीस, तीस, चालीस, पचास भाषाएँ हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए संविधान के दरवाजे खुल जाने चाहिए और संविधान के इन खुले दरवाजों से इन भाषाओं को अपना काम करने का, उस आगाम में आने का उन्मुक्त अवसर देना चाहिए। हमें किसी तरह से भी इन भाषाओं के प्रति कोई दुराव या डर मन में नहीं रखना चाहिए। भाषा कभी किसी को नहीं डराती, भाषा सदैव मिलाती है। ऐसा मेरा विश्वास है कि डोगरी और राजरथानी भाषाएँ इस काम को संपूर्ण घेतना, संपूर्ण अस्मिता और संपूर्ण आस्था के साथ करेगी। मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूँ कि यदि किसी के मन में किसी किसी कातिल भर भी कोई राजनीतिक कल्पुष हो तो उसे बाहर निकाल दे। लॉबी से बाहर, सेंट्रल हाल से बाहर सड़क पर छोड़ दें और सदन के भीतर, अपने मनों के भीतर आटवी अनुसूची में कृपा करके इन भाषाओं को स्थान देने के लिए संकल्पबद्ध होकर ररकार से प्रार्थना करें, सरकार से स्वीकृति ले। सभापति जी, यदि आपके संरक्षण में हम यह प्राप्त करते हैं तो यह इस वर्ष, इस शताब्दी की हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों मनीषियों का अभिनन्दन करता हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजरथान) :** सभापति जी, डा. कर्णसिंह जी ने डोगरी भाषा को शामिल कराने के लिए जो प्रत्यावर रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और बहुत ही छोटे शब्दों में कह रही हूँ कि हमारी राजरथानी भाषा को भी इसमें मान्यता मिलनी चाहिए और उसे भी शामिल किया जाए।

**डा. लक्ष्मीमत्त्व सिंधवी (राजरथान) :** सभापति महोदय, भारतीय भाषा की बात हो रही है इसलिए यदि मैं भारतीय भाषा में ही दो शब्द कहूँ तो उचित होगा। मैं यह मानता हूँ कि जो बात माननीय सदस्य श्री बालकपि बैरागी जी ने कही, श्रीमती सरला माहेश्वरी, डा. कर्णसिंह जी ने कही, वह बात कहीं गहरी संवेदना को, संविधान को, जीवन को छूती है। भारतीय भाषाओं का एक विराट, विपुल और विस्तृत आयाम है। यह सरसार एकता में विविधता और विविधता में एकता का उपहार हमारे देश को देता है। डा. राधाकृष्णन अवसर कहा करते थे कि भारत का साहित्य तो एक है, यद्यपि वह अलग-अलग भाषाओं में लिखा जाता है। हमारे अपने समय में, तीसरी लोक रामा में, जब मैं आया, उसके बाद शीघ्र ही परम आदरणीय डॉ लोहिया सदन में आए, उन्होंने भारत को, हिन्दी को एक नई ऊर्जा और एक नई दृष्टि दी। उन्होंने इस बात को, इस प्रस्तावना को रथापित किया कि हिन्दी का विकास, हिन्दी का संवर्द्धन, सब भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर होगा। हिन्दी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं का कोई वैमनस्य नहीं हो सकता। अगर हिन्दी को अपनी बात कहनी है तो शायद दूसरी भाषाओं के बारे में कहनी है। जो दूसरे देशों की भाषाएँ हैं उनमें से एक भाषा तो हमारी अपनी भाषा बन गई है, किन्तु भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन से हमारी अस्मिता का संवर्द्धन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस दृष्टि को एक नए तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आत्म-विश्वास के साथ, डा. लोहिया ने पहली बार इस देश के सामने रखा और एक तरह से हमारी संघीय अस्मिता को और हमारी एकता को और विविधता को एक नया भाषायी स्वर दिया। मैं उनका रमरण इसलिए करता हूँ कि कई बार पहले यह होता रहा कि हम हिन्दी के लोगों ने भी सोचा कि अगर अलग अलग प्रावेशिक भाषाओं का वर्चर्य बढ़ेगा तो हिन्दी कहा रहेंगी। कई बार आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, किन्तु बहुत गहराई के

1.00 p.m.

साथ, बहुत विदेक के साथ और बड़ी निष्पक्षता के साथ और बड़े आत्म-विश्वास के साथ आज श्रीमती सरला माहेश्वरी ने और श्री बालकवि बैरागी जी ने जो बात कही है यह हिन्दी के आत्म-विश्वास को प्रकट करती है। इस बात को प्रकट करती है कि हिन्दी हम सब की भाषा है, हिन्दी हम सब की संपर्क भाषा है। हिन्दी हमारे हृदय की धड़कन है। किंतु इस राष्ट्रीय भाषा के साथ प्रादेशिक भाषाओं का जो सौर मंडल है उसको विकसित करना भी जरूरी है। भारतवर्ष की जो सास्कृतिक छवि है, उसको मैं सास्कृतिक इन्द्रधनुष के रूप में लेता हूं और यह सास्कृतिक इन्द्रधनुष उस उदारता का परिचायक है, उस समग्रता का परिचायक है, उस क्षमता का परिचायक है, जिसको हमारे देश ने हमको विरासत के रूप में दिया है। शायद इसीलिए शॉयर इकबाल ने कहा कि हस्ती हमारी नहीं मिटती है, क्योंकि कुछ ऐसी बात हम में है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बात भी उसमें शामिल है। भाषायी दृष्टिकोण से शायद संविधान के समय बहुत गहराई से विचार नहीं हो पाया, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमारा संविधान जब बना तो सेंकड़ों अलग-अलग सरोकार हमारी संविधान सभा के समक्ष थे। उस समय जबकि संविधान बनना शुरू हुआ, सभापति जी, आपको स्मरण होगा कि कई देशी राज्य तो अभी तक भारत के संघ में सम्मिलित भी नहीं हुए थे, होने की प्रक्रिया में थे, उस वक्त भाषाओं को लेकर आपस के विरोध, मार्गे नहीं स्पष्ट हुई थी, किंतु बात में यह बात आई कि कुछ भाषाओं को जोड़ना चाहिए। हमने कई भाषाओं को जोड़ा है और जोड़कर हमने इस बात का परिचय दिया है कि भारतवर्ष का प्रजातंत्र एक उदार प्रजातंत्र है जो कि जोड़ना जानता है, स्वीकार करना जानता है, जगह देता है, स्पेस देता है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी ये कई भाषाएं और अन्य भाषाएं जुड़ती रही हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारी संवैधानिक संभावनाओं का एक दरवाजा है जो देश को एक करने के लिए आवश्यक है।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि डंगर क्षेत्र के लोगों की भाषा जिसे डोगरी कहा जाता है, शायद वह किसी एक जाति की भाषा नहीं है। हाँ, एक क्षेत्र की भाषा उस को कहा जा सकता है और जैसा कि ३० कर्ण सिंह ने बहुत मर्मिक शब्दों में कहा कि इस भाषा का विस्तार होना चाहिए। सभापति जी, हुआ यह कि वर्षों तक इस भाषा के बोलने वाले कई लोग अलग-अलग भाषाओं में लिखते रहे और उन्होंने अपनी भाषा की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इस में शक नहीं कि डोगरी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस में पिछले वर्षों में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। सभापति जी, मैं यहां जिस डोगरी भाषा की कवयित्री का उल्लेख करना चाहता हूं, हमारे मित्र माननीय सदस्य श्री बालकवि बैरागी जी ने भी उन के बारे में कहा है, उन्होंने अपनी एक कविता में डोगरी भाषा को उस शाहनी का दर्जा दिया है जिस के लिए यह काम करती हैं। वह कवयित्री श्रीमती पद्मा सचदेव कहती हैं :

\*कलम ये सरकंडे की  
टहनी से झूल रही  
टहनी से कलम मांगी  
खीझकर बोली है दो  
अभी परसो ही तो तुम्हें दी थी नई कलम  
यह कहा गई, कहा  
डरते डरते कहा मैंने

छीलकर हुई खत्म  
पूछा उस ने  
क्या किसी बहीखाते पर हो नैकर  
हिसाब-किताब लिखते-लिखते  
हर दूसरे दिन कलम चाहिए तुम्हें नई  
कौन है शाह  
जिसकी दुकान पर इतना अधिक काम है  
कौन है?  
मैंने धैर्य से कहा,  
मैं किसी शाह का नहीं एक शाहनी का काम करती हूं  
वो शाहनी बड़ी समृद्ध  
बड़ी बख्तावर है  
बड़ी संपन्न है  
उस के घर में काम करने वाली  
अकेली मैं नहीं  
कितने ही चाकर हैं उस के  
द्वार पर खड़े हैं हाथ बांधे  
वो है मेरी मातुभाषा डोगरी  
निकालो कलम ढूँढती होगी मुझे वो  
जल्दी करो।"

सभापति जी, भाषा के लिए जो यह गहरी भावना है, जिस का परिचय वहां के लोग अपनी भाषा के अनुराग से देते हैं, उस को स्वीकार करना एक सदाशयता का परिचय देना है। संविधान के बेल शब्द का विन्यास नहीं होता, संविधान के बेल प्रावधान नहीं होता, संविधान में संस्कृति का स्पंदन होता है। सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस भाषा को एक शब्द जोड़कर, आठवीं सूची में जोड़कर, हम वार्त्ता में उस उदारता का परिचय देंगे जोकि भारतवर्ष का परिचय है।

सभापति महोदय, अमीर खुसरो जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर हुए हैं और जिन्होंने सब से पहले हिंदौरी नाम प्रचलित किया, जिन्होंने कहा कि मुझसे हिंदौरी मैं बात करो, तभी मैं तुम्हें जवाब दूंगा क्योंकि मैं तो हिंदौरी की तूती हूं। उस महाकवि ने, उस बड़े हिंदुस्तानियत के प्रवक्ता ने कहा था कि डोगरी एक ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष में बोली जाती है बल्कि उस से भी कुछ पहले घम्मा के कुछ ताम्रपत्रों में डोगरी का उल्लेख दुर्गम की तरह उल्लेख मिलता है जोकि बाद में डोगरी हुई। सभापति महोदय, श्रीमती सरला गाहेश्वरी जी ने ग्रिएरसन का जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि हर 10-15 कोस पर भाषा बदल जाती है। उस का कारण यह है कि हर भाषा में यह संभावना रहती है और रहना भी चाहिए क्योंकि भाषा का विकास उन लोगों से होता है जो उस का प्रयोग करते हैं। भाषा किसी कारावास में बंद अपराधी की नहीं है, किंतु भाषा एक सतत प्रवाहमान नदी की तरह है। इसलिए यह कहकर कि डोगरी की कई अलग-अलग प्रणालियां और परंपराएं हैं, डोगरी भाषा की एकसूत्रता से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह

सही है कि ग्रिएरसन ने डोगरी, कंड्याली, कांगरी, मटियाली, सिरमीरी, बघाटी, पहाड़ी, लहंडा, कुल्लुई, चम्बयाली, कलहूरी, भद्रावा, गूजरी, रोमपुरी, पोगली, होशियारपुरी इत्यादि कई बोलियों का उल्लेख किया है, किंतु इस बात का सबूत है समाप्ति जी कि इस का वैविध्य बहुत व्यापक है। किंतु इस के व्यापक वैविध्य के कारण डोगरी भाषा की पहचान कम नहीं होती बल्कि उसे इस से संबंधित मिलता है। समाप्ति जी, राजस्थानी भाषा की भी पांच अलग-अलग बोलियाँ हैं, किंतु जिसे उपनिवेशवादी लोगों ने बोलियां कहकर अस्वीकार कर दिया ...

उसको अगर स्वतंत्र भारत भी अस्वीकार करता रहा तो हमारी अस्मिता का प्रश्न कैसे चलेगा। आज यह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के सामने, दुनिया के सामने है कि इंटरनेट आ गया, प्रोटोकॉलों की आ गई और हम जिस भाषा में बात करते हैं, जिसमें संवाद करते हैं उसको भी स्वीकार नहीं कर सके। सांस्कृतिक रूप से ही सही, मीडियम के लिए नहीं कह रहा, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार होना चाहिए, मीडियम के लिए हिन्दी का अधिक उपयोग होना चाहिए, व्यापक प्रयोग होना चाहिए।

समाप्ति महोदय, राजस्थान भाषा की वकालत करते हुए भी मैंने बराबर यह कहा है कि राजस्थानी के लिए जितना मेरा प्रेम है, उससे एक तनिक भर भी कम प्रेम हिन्दी के लिए नहीं है, किंतु भाषाओं का सहचर, भाषाओं का सहयोग, भाषाओं का संवाद और भाषाओं का सक्रिय समन्वयन हमारे देश की आवश्यकता है, जिसका न संविधान बनाते समय हम ध्यान दे सके और न उसके बाद इतने बर्बाद में ध्यान दे पाए हैं। वास्तव में और भी कई भाषाएं हैं, जिनकी मांग हो सकती है कि उनको सांस्कृतिक मान्यता मिलनी चाहिए। ज्ञान पीठ प्रौढ़ मंडल का अध्यक्ष होने के नाते एक प्रश्न मुझे सालता है कि हमारे देश में कई भाषाएं और कई सुजनात्मकता की प्रतिभाएं हैं, जिनकी ओर हम अपना ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि वह संविधान में वर्णित नहीं हैं। यह अन्याय है।

समाप्ति महोदय, मेरा यह मानना है कि संविधान में जो भी काम संविधान बनाते समय अधूरा रहा है, उसे पूरा करने का समय आज आया है। एक व्यापक संदर्भ में देखें तो देश को जोड़ने का एक नया तरीका, एक नया अवसर, एक नई चुनौती हमारे सामने है और अगर हम इस अवसर को खो देते हैं किसी प्रशासकीय कारण से या किसी बात को टालने के तरीके से, टालने की शैली तो हमारे देश में एक विशेष उपलब्धि है, तो उसको टालने की नीयत से नहीं बल्कि कुछ सकारात्मक दृष्टि से, कुछ करने की नीयत से हमको भाषाओं के प्रश्न को सुलझाने का काम करना है। हम अक्सर प्रश्नाकुल तो होते हैं, किंतु उत्तर तत्पर नहीं होते। मेरा यह मानना है कि आज हमें समाधान देने की जरूरत है, उत्तर तत्परता की जरूरत है और मैं यह आशा करता हूँ कि यह सरकार, जो एक व्यापक दृष्टि लेकर चली है, अपना ध्यान देगी। मैं श्रीमती सरला माहेश्वरी जी की इस बात से असहमत हूँ कि कोई हिंदी वाले लोग, हिन्दुत्व के लोग इस बात का विरोध करते हैं। अगर करते हैं तो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। भाषाओं के मामले में जो राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, इसमें मेरा नियेदन है कि यह सरकार एक नए दृष्टिकोण से, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आत्म-विश्वास के साथ देश के सामने ऐसा कहे कि हम इसको करने वाले हैं, शीघ्र करने वाले हैं। धन्यवाद।

**भिर्जा अब्दुल रशीद (जम्मू और कश्मीर) :** ऑनरेबिल चेयरमेन सर, डा. कर्ण सिंह साहब ने, जो हमारे रहनुमा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इन्होंने जो डोगरी जुबान को एट्थ

<sup>†</sup> Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

शेड्चुल में इनकल्यूड करने के लिए बिल पेश किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पवारी) पीटासीन हुए ]**

सर, डोगरी जुबान बहुत जरखेज जुबान है, मीठी जुबान है और खासकर जम्मू-कश्मीर की रियासत में डोगरा लोगों को यह हक जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर डा. कर्ण सिंह जी तक ने, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की रियासत जो है, यह लखनपुर से लेकर तिब्बत तक और गलगित से लेकर मीरपुर तक इस रियासत को जोड़ा, इस रियासत के जोगराफिए को जोड़ा मुश्किलतरीन हालात में भी और भारत के अंदर एक छोटा सा भारत जोड़कर रखा, जिसकी बड़ी शानदार रवायात है, जिसका बड़ा इतिहास है, जिसकी तारीख है। जम्मू-कश्मीर में यह डोगरी जुबान सिर्फ हिन्दू भाइयों की जुबान नहीं है बल्कि इसमें मुसलमान, सिख और दूसरे सभी मजहबों के जो लोग हैं वह भी इसको अपनी जुबान समझते हैं। 1947 में अंग्रेजों ने जब हमारे मुल्क के दो हिस्से किए तब मुल्क की जबान उर्दू थी, उस वक्त उसको धक्का पहुँचाव इसी तरह जम्मू-कश्मीर रियासत पर जब लाइन आफ ऐक्च्युअल कंट्रोल खींची गई तो, उससे जहां लोग तक्सीम हुए वही यह डोगरी भाषा भी तक्सीम हुई और डोगरी जबान को उससे बड़ा नुकसान हुआ। आज भी जम्मू-कश्मीर की रियासत में और खासकर मकबूजा कश्मीर में, जो हमारे कश्मीर का हिस्सा है, जिसके लिए हमने आज भी अपने असैम्बली में 25 सीटें रखी हुई हैं, वहां 99 परसैट लोग आज भी डोगरी बोलते हैं, भले ही वह पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी तरह शुमाली पाकिस्तान में जो रावलपिंडी और लाहौर का हिस्सा है, वहां के सब लोग डोगरी समझते और बोलते हैं। गर्ज कि हमारे जम्मू-कश्मीर में जो डोगरी का बुलेटिन, खबरों का या दूसरे अदब का होता है, शुमाली पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के सभी लोग इसको समझते भी हैं, बोलते भी हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है लाइन आफ ऐक्च्युअल कंट्रोल बनने से, वह डोगरी जबान को हुआ है, डोगरा लोगों को हुआ है। आगर यह लाइन आफ ऐक्च्युअल कंट्रोल न होता तो आज वहां की सियारी शक्ल कुछ और होती। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और शुमाली हिन्दुस्तान में लोग डोगरी भाषा को बोलते भी हैं, समझते भी हैं। यह भी सच है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कभी एक बड़े पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, हमें खुशी और नाज है कि दुनिया में जितने धर्म और मजहब हैं, वे हमारे मुल्क में पनप रहे हैं और दुनिया में जितनी जबानें हैं, वे हमारे हिन्दुस्तान में पनप रही हैं, परवान चढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनकी तरक्की हो रही है। इसलिए यह सबसे बड़ा मकाम हमारे मुल्क का दुनिया में है, जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का नहीं है। इसलिए कहा जाता है :-

गुलहाएं रंगारग से हैं हैं रौनके चमन  
हमी हम हैं तो क्या हम हैं, तुम्हीं तुम हो तो क्या तुम हो।

जहां तक डा. कर्ण सिंह जी द्वारा इस डोगरी भाषा के लिए बिल को पेश करने का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूँ कि डा. कर्ण सिंह जी हमारे मुल्क के बड़े नेता हैं, रहनुमा हैं और जम्मू-कश्मीर में डोगरी भाषा के सिलसिले में इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये खुद बहुत बड़े शायर हैं, अदीब भी हैं, संगीतकार भी हैं और इन्होंने डोगरी भाषा को एक खास मकाम दिया है और इन्होंने डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में इन्क्लूड करने के लिए एक तहसीक भी चलाई है, बड़ी

मेहनत की है। इसी साल हम प्रधान मंत्री जी, जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिडेंस पर एक डोगरी डेपुटेशन लेकर गए थे, मेडम पदमा सचदेव जिसकी रहनुमाई कर रही थीं, उसमें मैं भी शामिल था। जब प्रधान मंत्री जी ने सारी बात सुनी तो उन्होंने मौके पर ही कह दिया कि इसी साल हम कांस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए एक बिल लाएंगे, ऐसा उन्होंने यकीन दिलाया था। उसी जिम्मन में मैंने अपने दो-तीन क्यूडी दिए, इसी सैशन में उसका जवाब आया कि हम बहुत जल्दी इसको 8वें शैड्यूल में इन्कल्पूड करने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं।

डा. कर्ण सिंह, जो हर लिहाज से हमारे नेता है, आज इन्होंने जो बिल पेश किया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए और यह सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि अगर वह कांस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहती है तो उसे जल्दी किया जाए क्योंकि 1969 में साहित्य अकादमी ने इसकी ऐप्रूवल दी थी और इसके रिकमेंड भी किया था, उसके बाद से 30-40 साल हो चुके हैं, बहुत देर हो चुकी हैं और डोगरी लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, खासकर जम्मू-कश्मीर की रियासत में। वहाँ डोगरी जबान मां का, बड़ी बहन का रोल अदा करती है। जो छोटी-छोटी दूसरी जबानें वहाँ पर हैं - पंजाबी, पहाड़ी, गोदरी, वे भी इन्हीं से इंस्प्रेशन लेती हैं।

इसलिए मैं भरकजी सरकार से तबको करुणा कि वह बहुत जल्दी इस बिल को पास करके कांस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में मकाम दिलाए ताकि लोगों की जो देरीना मांग है, उसको पूरा किया जा सके। शुक्रिया।

**श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) :** सभापति महोदय, मैं डा. कर्ण सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस मुद्रे पर जो बहस हुई है, वह ज्यादा साहित्यिक भाषा में हुई है और हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी कवि-सम्मेलन में बैठे हैं और इस सदन में जो कलह हुआ करता है, आज इस सदन का वातावरण उस कलह से मुक्त सा दिखाई पड़ रहा था।

महोदय, मुझे साहित्यिक भाषा तो बोलनी नहीं आती है। बैरागी जी मुझे क्षमा करें, सरला बहन क्षमा करें, डा. कर्ण सिंह क्षमा करें और सिंघवी साहब क्षमा करें। महोदय, भाषा अभियक्ति का एक माध्यम है। हर आदमी जो पैदा होता है, वह कोई न कोई भाषा बोलता है। कुछ लोग कम तादाद में होते हैं, पिछड़े इलाके में होते हैं। उनकी भाषा लालित्य और साहित्य की दृष्टि से बहुत खूबसूरत और संपन्न होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाती। यही डा. कर्ण सिंह के दिल का दर्द है और इसलिए ये घाते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इस भाषा को जोड़ दिया जाए। महोदय, हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएँ हैं जिनको हम बोली तो नहीं कहेंगे, भाषा ही कहेंगे क्योंकि बोलियाँ तो बहुत छोटे दायरों में होती हैं। वे भाषाएँ इस दर्द से कराह रही हैं। मैं डा. कर्ण सिंह और इस सदन से कहना चाहता हूँ कि यह सही है कि दूसरी भाषाओं को खासकर उर्दू वगैरह को जब प्राथमिकता दी जाती है तो हिंदी के कुछ साहित्यकार कभी-कभी ऐतराज़ करते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, भारतीय भाषाओं में ऐतराज़ की कोई गुजाइश नहीं है। हिंदी अगर बड़ी बहन हो सकती है तो बाकी मातृभाषाएँ छोटी बहन हो सकती हैं। बड़ी बहन का काम यह है कि वह छोटी बहन के इतराने और तुनकने को थोड़ा बरदाश्त करे। कभी-कभी जो कर्कश किस्म की बड़ी बहन होती है, वह छोटी बहनों को डांड़ा करती है। यह किसी परिवार को चलाने के लिए अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। मैं खास तौर से डा. कर्ण सिंह और सिंघवी साहब से यह कहूँगा कि जब कोई बड़ा पेड़ होता है, तो उसके नीचे जितने

पौधे निकलते हैं, वे पीले-पीले निकलते हैं, अच्छे नहीं निकलते हैं।

**महोदय:** भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, भाषा शोषण का माध्यम भी है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण होता है। जो व्यक्ति मजबूत होता है, वह कमज़ोर व्यक्ति का शोषण करता है। जाति द्वारा जाति का शोषण होता है। नियम के हिसाब से जो जाति मजबूत होती है, वह कमज़ोर जातियों का शोषण करती है। धर्म द्वारा धर्म का शोषण होता है। ये सब जन्म से मिली हुई चीजें हैं - भाषा, जाति, धर्म और देश। देश द्वारा देश का शोषण होता है। हम जिस देश में पैदा हुए, अगर हमारा देश संपन्न है तो हम उस देश का शोषण करते हैं जो हमसे कमज़ोर है। हम जिस जाति में पैदा हुए, अगर वह बड़ी जाति है, तो वह छोटी जाति का शोषण करती है। हम जिस धर्म में पैदा हुए, अगर हमारी संख्या ज्यादा है, तो हम कम संख्या वालों का शोषण करते हैं।

**महोदय:** हिंदुस्तान की दिंडबना यह है कि हिंदुस्तान की इन सारी भाषाओं का, यहाँ तक कि हिंदी का शोषण एक विदेशी भाषा करती रही है। इस प्रस्ताव की भावना में यह बात नहीं है, लेकिन मैं इसे जरूर जोड़ना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का शासन उस भाषा में चलेगा, जिस भाषा में हमने अपने बचपन में नानी से लोरी सुनी थी, अपनी मां के सीने से दूध पिआ था, या हिंदुस्तान का शासन उस भाषा में चलेगा जो 15-20 साल बाद हमें सिखाई गई? भाषा भी भाषा का शोषण करती है। जब तक हम इस मर्म को नहीं समझेंगे, न केवल डोगरी, न केवल राजस्थानी, बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि न केवल तमिल, न केवल मलयालम, बल्कि हिंदी भी शोषण का शिकार रहेगी। इस मर्म को यह सदन समझे, केवल यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं इस विल का तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

**डा. रमेंद्र कुमार यादव (बिहार) :** माननीय उपराज्यकार्यकारी जी, मैं डा. कर्ण सिंह के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ बोलूँ उससे पूर्व डा. सुमन की कुछ परिचयों में आपके सामने रख देना चाहूँगा।

पूर्व परिचय भी नहीं था आज भी हम हैं अपरिचित  
यह अद्भूत अद्यर अपने मुक्ता में ही प्रकाशित।

मान्यवर जिस डोगरी भाषा का प्रत्याव लेकर डा. कर्ण सिंह आए हैं मुझे उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं है कोई ज्ञानकारी नहीं है। मूल में इतना जानता हूँ कि वह एक भाषा है जिसके बह जाने माने कवि हैं इस देश के। भाषण के क्रम में बहन सरला माहेश्वरी जी ने इसे अस्मिता और अभिव्यक्ति की संज्ञा दी। हमारे पूज्य बालकवि बैरागी जी ने कहा कि भाषा गाये के स्तन जैसी होती है और हर रस्तन के दूध का स्वाद एक जैसा होता है उससे बड़ी बात नहीं हो सकती।

**डा. सिंघवी** ने हिंदी को अपनी परिभाषा की संज्ञा दी। सम्पर्क का माध्यम बताया और हिंदी हमारी मर्यादा है पहचान है इस तरह की बातें कही। पर आदरणीय जनेश्वर जी ने अधिक सामाजिक हांकर भाषाई शोषण की बात उठाई। उन्होंने कहा कि बड़ी बहन जब कड़े मिजाज की होती है तो छोटी बहनों को डांटती है। मैं तो साहित्य का एक छात्र रहा हूँ। आंसू के खरापन को पृथक-पृथक नहीं पहचाना जा सकता। करुणा के घनत्व को नापने के लिए कोई इलेक्ट्रोमीटर, हेक्टोमीटर बैरोमीटर या थर्मोमीटर नहीं हो सकता है। हम गरमी को जाड़े को धूप को वातावरण को नाप सकते हैं लेकिन आंखों की करुणा के घनत्व को, उसकी गहराई को, उसके खरापन को,

उसकी रिक्तता को, उसकी तृप्तता को, हम तोल नहीं सकते माप नहीं सकते। जहां तक हिंदी का सवाल है और सहमति की बात उठती है तो मैं यह मानता हूं कि छोटी नदियां सहायक नदियां समुद्र की गहराई बढ़ाती हैं। अगर सहायक नदियां ना हों तो समुद्र की गहराई को हम माप सकते हैं। मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रोमीटर, हेल्कोमीटर, थर्मोमीटर, फैरोमीटर से हम माप सकते हैं लेकिन आँखों की करुणा को, उसके खारापन को, या उसकी वेदना को, आशा को, निराशा को, आकाशा को, निरुत्साह को, धृणा को हम नाप नहीं सकते हैं महसूस कर सकते हैं अनुभूत कर सकते हैं। जैसा मैंने बहन सरला माहेश्वरी जी को कोट किया था तथा उन्होंने उसे अभियक्षित और अस्मिता की सज्जा दी। डा. सिंघटी ने हिंदी को परिभाषा और सम्पर्क की भाषा बताया और श्री बालकवि बैराणी ने कहा कि भाषा तो गाय के चार थनों जैसी होती है और धार का स्वाद एक जैसा होता है। अभी कवयित्री सद्यदेवा का नाम आया परम आदरणीय कर्ण सिंह जी का नाम आया और भी नाम आए। डोगरी रेजीमेंट भी है और यह पंजाब के गुरदासपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य भूभाग में भी यह भाषा बोली जाती है।

अगर उसकी पहचान न हो, उसकी अभियक्षित का एक सशक्त माध्यम न हो, एक मच न हो - चाहे साहित्य अकादमी के द्वारा उसको पहचाना गया हो लेकिन जब तक हमारे भारतीय संविधान की आठवीं सूची में कोई प्रावधान नहीं होता है, उसे शामिल नहीं किया जाता है, उस प्रवंचित समाज की जो अभियक्षित है, उसका जो शब्दकोष है - जिसमें जैसा सरला जी ने बताया - उसमें 33 लाख शब्दों का शब्दकोष है - उसका क्या होगा? अगर आज हमारी भाषा समृद्ध होती है - लोग यह मानते हैं कि भाषा की समृद्धि से किसी देश की संस्कृति को, सभ्यता को हम परख सकते हैं, आंक सकते हैं। मैं तो मानता हूं और सभी मानते हैं कि साहित्य समाज की कस्ती है, साहित्य समाज का दर्पण है, उसकी कस्ती, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता उसकी बोली है। चाहे हम मा को, भाषी को भ्रातृजाया कहें, भौजी कहें, भाऊजिया कहें या भाषी कहें, सबका एक ही मतलब होता है। हम धर्म को धर्म कहें, रिलीजियन कहें या गुरुग्रंथ साहब की बात कहें। जहां तक भाषाई गडमडता का सायाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदासकृत जो रामायण है, उसकी भाषा क्या है? क्या कोई हिंदी वाला है - वह अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। इसी तरह आदिकवि बाल्मीकी का जो महाकाव्य है, वह किस भाषा में है? इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब जो लिखा गया, उसकी व्याख्या भाषा है - किन्तु जो उसकी अभियक्षित है, उसमें जो अभिश्रेत है, जो जीवन का तथ्य है, जो जीवन का चित्तन है, जो हमारी सवेदनाएं हैं, जो हमारी अभियक्षितायां हैं, जो सनातनता है, जो शाश्वतता है, उससे समाज का एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साहित्य हमें जोड़ता है, साहित्य की कस्ती पर मापने के लिए उस रामाज के दुख को, दद को, सवेदना को, अहसास को - हम लोग पढ़ते हैं - आशा हो, निराशा हो, उत्कर्ष हो, अपकर्ष हो, धृणा हो, करुणा हो - वह मूल में एक ही है। आज चाहे हम अपने पिता को डंडी कहें, बाऊजी कहें, अब्बा कहें, कोई अतर नहीं पड़ता है। वैसे ही चाहे जर्मन में लोग पैटर कहते हैं, हम लोग पिताजी कहते हैं, इस सबका मतलब होता है जन्म देने वाला। भाषा हमारी अभियक्षित है, अस्मिता है, हमारी परिभाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है, इसलिए इसको - और फिर यह तो एक इस्टैब्लिशड, एक स्थापित भाषा है, जिसे डोगरी कहते हैं - अगर इसको आठवीं सूची में जोड़ने का सरकार संकल्प लेती है और माननीय डायटर कर्ण सिंह जी तो अपने आपमें एक साहित्य हैं, अपने आपमें एक संस्कृति हैं। ये स्वयं संस्कृत के महा विद्वान् हिन्दी के महाविद्वान् और मेरी बहन कह रही थीं, अंग्रेजी के भी विद्वान् हैं। बहुत कम लोग इस सदन में या उस सदन में ऐसे हैं जो भाषा के नाम पर इतने जाने जाते हों, जो भारतीय सरकृति

के प्रतीक के रूप में जाने जाते हों। जहां तक उनकी अभिव्यक्ति का सवाल है उस महामना व्यक्ति के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है, मैं चाहूँगा कि आदमी - लोग कहते हैं धन बढ़े, पुत्र बढ़े तो किसी को बुरा नहीं लगता - अगर हमारी भाषा बढ़ती है और हमारी भाषा संस्कृति जिस पर हमे गर्व है, जिसकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है। आज हमारी 20 भाषाएँ हो जाएंगी। डाक्टर सिंघवी जी और डाक्टर कर्ण सिंह जी तथा हमारी एक बड़ी बहिन वहां बैठी हुई हैं, उन्होंने भी कहा, उसको भी जोड़ा जाए जिससे हमारी भाषायी समृद्धि के मामले में - जैसे हमारा भारत महान है, उदाहरण है, उसको उदारता से मैं माननीय पीठासीन पदाधिकारी से और माननीय सदन से अपेक्षा रखूँगा कि बिना किसी हील-हवाले के इस प्रस्ताव का सम्मानपूर्वक समर्थन किया जाना चाहिए। जय हिंद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पाठीरी) :** इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूँ, मैं सदन की राय लेना चाहूँगा कि यदि सदन अनुमति दे तो इस महान आसंदी पर श्री रामदेव भंडारी को आगे के विजिनेस के लिए बिठा दिया जाए।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. रामदेव भंडारी) पीठासीन हुए]

**श्री एस.एस. आहलुवालिया (झारखड़) :** उपरसभाध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. कर्ण रिह द्वारा पुरस्थापित संविधान संशोधन विधेयक, 2001, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी को शामिल करने के लिए इस बहस की शुरुआत की है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, डोगरी भाषा अपने आप में उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी पहचान रखती है। यह भाषा एक ऐसी भाषा है कि जब हमलायर हमारे देश में आते थे और हमारे शूरवीर डोगरे जब उनका मुकाबला करते थे तो मजबूर होकर मंगोलियों और पठानों को डोगरी भाषा सीखनी पड़ती थी यह जानने के लिए कि भारत माता के ये सच्चे सपूत, शूरवीर, हिंदुस्तान के रक्षक अपने भारत की अस्मिता और अपने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, अपने हिंदुस्तान की इज्जत रखने के लिए किस तरह से तत्पर हैं और किस तरह से चट्टान की तरह, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में किस तरह से खड़े होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि अरबी और फारसी में भी लोग उनकी भाषा में डोगरों के गुणगान गाते थे। जैसे हरी सिंह नलवा के बारे में कहा जाता है कि वहां के पठानों की माताएँ, जब उनको बच्चे तग करते थे तो उनको लोरी सुनाने के बजाय वे कहा करती थीं कि सो जा, सो जा जल्दी, नलवा आया है। यह इतिहास, यह सम्यता, यह साहित्य है। लोग कहते हैं कि जिस देश का अपना इतिहास न हो, जिस सम्यता का अपना इतिहास न हो, वह बिना रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। इतिहास किसी सम्यता की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आदमी स्पाइनलेस हो जाए तो वह खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारी सम्यता, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति हमारे इतिहास की रीढ़ की हड्डी पर खड़ी है। जब हम न्याय की बात करे, अगर किसी के सामने कोई न्याय की गुहार लगाने गया है, चाहे किसी न्यायमूर्ति के यहां ही गया है। न्यायमूर्ति की भाषा अलग है और न्याय की गुहार लगाने वाले की भाषा उसे समझ में नहीं आ रही है और वह अपनी बात कह रहा है तो उस भाषा में कही हुई बात, जो भाषा समझ न आती हो, उसको न्याय का या अन्याय का, उसको जब समझ नहीं आया तो उसे उसका अनुभव नहीं होता है।

महोदय, वैसे तो आज फिल्मों का प्रचलन बहुत है और यहां सुबह से सब कविताएँ सुना रहे हैं लेकिन मैं तो फिल्मों के प्रचलन की बात करता हूँ। शायद ही कोई फिल्म होगी जहां भारत की यादियाँ और पहाड़ियाँ न दिखाई जाती हों और उनमें जो गीत होते हैं, उनमें कोई

डोगरी शब्द न हो। डोगरी भाषा आती हो या न आती हो पर अगर फिल्म में कोई गीत आ जाए या टी.वी. पर कोई प्रोग्राम आ रहा हो तो आदमी के शरीर में उसकी ताल से, उसकी लय से सिहरन पैदा हो जाती है। वास्तव में भारत में करीब 4000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। हरेक पचास भील पर बोलियां बदल जाती हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और आरखंड को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे यहा माघी, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है और प्रचलित है। सिफ़ इतना ही नहीं, भोजपुरी पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है और तो और मौरीशास में बोली जाती है। मौरीशास की ऑफीशियल और अनऑफीशियल लैंग्वेज भोजपुरी है। अगर आपको भोजपुरी आती है तो आप वहां कोई भी काम करा सकते हैं। सूरीनाम, फीजी में आप चले जाइए, भोजपुरी वहां की भी भाषा है। पर हम आज भी यह मान, सम्मान देकर इसे ऐट्थ शेड्यूल में नहीं ला सके हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आई.पी.यू. की कॉमन वेल्थ की एक कांफ्रेंस अटैण्ड करने के लिए मौरीशास गया। वहां मैंने देखा कि वहां एक ओम चैनल है, जो भोजपुरी में आता है। उस पर भोजपुरी भाषा के पूरे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। उसी का चैनल न्यूजीलैंड में दिखाया जाता है, वह भी ओम चैनल है और वह भी भोजपुरी में आता है। जब मैंने वहां के लोगों से भोजपुरी में बात की तो उस टी.वी. चैनल का जो डायरेक्टर था, उसने कैमरे की पूरी टीम मेरे पास भेज दी कि आप पूरा इटरव्यू भोजपुरी में दीजिए। भारत से बाहर रहने वाले जो बाशिद हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैंने अपना एक घटे का इटरव्यू दिया कि भारत की समृद्धि, सभ्यता, संस्कृति क्या है। अंततः उन्होंने कहा कि आप लार्ट मैसेज दीजिए तब मैंने भोजपुरी में कहा कि भैया, जहा रहा अपने माए के मत भूलिया। माइ तोहार है भारत माता, उकरा मत भूलिया, चाहे जो होई, जब होई। अगर कुछ करके होई तो अपने भारत माता माई के न भूलिया, कोई खातिर करिया। वह चैनल देखने के बाद न्यूजीलैंड से लोग भोजपुरी में भेरा इटरव्यू लेने के लिए आए।

**श्री मूल चन्द मीणा :** यहां डोगरी की बात हो रही है।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया :** अरे भई, आपकी समझ से बाहर की चीज है। यह आपकी समझ से बाहर की चीज है। भाषा की क्या वैल्यू है, मैं वह बता रहा हूँ। डोगरी में जो समझाया वह भी नहीं समझ आया तुम्हें। उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन में मैंने मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में लाने के लिए विधियक दिया था। आपको पता है कि महामानव विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में कितना काम किया है। मैथिली की अपनी स्क्रिप्ट है। आज हमारे संथाली भाई, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, कांस्टीट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना कुछ देने के लिए हमने प्रावधान रखे हैं, वे सारे प्रावधान रखने के बावजूद क्या कभी हमने सोचा कि संथाली को भी इसमें जोड़ा जाए? मैं पूरी तरह से डा. कर्ण सिंह जी की इस मांग से सहमत हूँ और सहमत होते हुए यह कहता हूँ कि भावनारं, जिस तरह से हमारे पूर्ववक्ता सरला जी, रवि जी, बैरामी जी ने उद्दत की, एक आदमी अपने मन की इच्छा, भावनाओं को अगर पेश कर सकता है तो वह उसकी माद्रे जुबान है। अगर मुझसे कोई पूछे कि अहलुवालिया जी आपकी माद्रे जुबान क्या है तो मैं कहूँगा कि मेरी माद्रे जुबान पंजाबी है। परंतु पंजाबी के बावजूद मैं बंगाली में भी उतना ही स्पष्टभाषी हूँ जितना हिन्दी में हूँ।

**एक माननीय सदस्य :** आपकी ससुराल है।

**श्री एस.एस.अहलुवालिया :** उसकी वजह से नहीं।

**डा. रमेन्द्र कुमार यादव "रवि" :** अद्वागनी का असर है।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया :** अद्वागनी का असर भी दिखना चाहिए। सिफ़ अद्वागनीश्वर

होने की कल्पना ही नहीं होनी चाहिए, अद्वैगनी का असर भी दिखना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बंगाल मेरा जन्म रथान है। गुजरात में शादी होती तो शायद गुजराती में भी उतना ही स्पष्टभाषी होता।

#### एक माननीय सदस्य : दूसरी कर लीजिए।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया :** दूसरी करने की परंपरा कहीं और होगी, मेरे यहां नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं संथाली भाषा के बारे में कह रहा था। हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कितना कुछ प्रावधान दे रहे हैं अतः संथाली भाषा को भी वह सब देने की जरूरत है, पहचान देने की जरूरत है, इसलिए इनकी डोगरी की मांग पूरी की जाए। भाषाओं को ऐस्थ शेड्यूल्ड में जोड़ने के लिए एक नेशनल कमीशन बनाने की जरूरत है। जो नेशनल कमीशन पांच सौ डिस्ट्रिक्ट कंट्री के हैं, जहां चार हजार से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं।

ऐसा देश सारी पृथ्वी पर कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा और चार हजार भाषाओं में बोलने के बावजूद भी अपनी एकता के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, सारी दुनिया में जाना जाता है कि जिस वक्त सरहदों में हमारे साथी डोगरी की बीर रस गाथाएं सुन कर अपनी भारत माता की रक्षा करने में लीन होते हैं तो कहीं हर-हर महादेव के नारे लगते हैं, तो कहीं बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगते हैं, तो कहीं असमियां दंगोरी बाबा के किस्से सुना कर, कहीं शकर देवा के किस्से सुना कर, किस तरह से जा करके करते हैं। तो भाषा की जो चीज़ है वह सम्भाला और संरकृति से आती है और उसको उसी भाषा में बताया जाए तो ठीक लगता है। अब किलोघेट्रा को हिन्दी में पढ़ा जाए तो अजीब सा लगता है, उसे वहां की भाषा में पढ़ा जाए तो ठीक है। हीर राझा और वारिस शाह को सुनना हो तो उनकी भाषाओं में सुना जाए। वारिस शाह को सुनना हो तो पजाबी में सुनो, पर जब उसका अर्थ बंगाली में हो जाता है तो उसमें वह बात नहीं रहती। हम बंगाली के रवीन्द्र संगीत को सुनते हैं या उनकी गीतांजलि को बंगाली में पढ़ते हैं तो उसमें रस अलग है और जब उसे अंग्रेजी में या फ्रेंच में पढ़ते हैं तो रस अलग होता है। उन भावनाओं का प्रकटीकरण तो अपनी मातृभाषा से ही किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हर भारतीय को यह अधिकार है कि जिस संविधान को गणतंत्र के अधिकारों की भावत् गीता या गणतंत्र के अधिकारों का कुरान या गणतंत्र के अधिकारों का गुरु ग्रंथ साहिब माना जाए तो उसको अपनी भाषा बोलने का या अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान जरूर होना चाहिए। मैं कर्ण सिंह जी से भी गुजारिश करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि इस पर एक नेशनल कमीशन बैठे और ये जो पांच सौ जिले हैं यहां पर जो भाषाएं मुख्य धारा से वंचित हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्या होगा, इतना ही होगा ना कि नोट में पांच सौ रुपये का नोट हो याहे दो रुपये का नोट हो उस पर 18 भाषाओं में लिखा रहता है यह दो रुपये हैं या यह पांच सौ रुपये का नोट है या एक हजार रुपये का नोट है, फिर वह छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा या उसमें लिखना बंद कर दीजिए, सिर्फ नंबर ही लिखिए, पर यह अधिकार मिले कि कोट में, कघरी में, इन्हान में, एजामिनेशन में और कंपीटिशन में हम उन बातों का आदान-प्रदान कर सके। यही कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (परिचयी बंगाल) :** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं शायद इस विधेयक की अंतिम वक्ता हूं और काफी देर बाद मैं आई, मैंने सोचा कि भाषा की प्रोफेसर होने के नाते मेरा एक दायित्व होता है कि इस पर मैं भी दो शब्द कहूं। इससे पहले हमारी पार्टी से, मेरी

सहकर्मी बहन सरला माहेश्वरी जी इस पर विरतारपूर्वक बोल चुकी हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि भाषा अभिव्यक्ति और अस्मिता का एक माध्यम है, सचमुच जब तक किसी भाषा की समृद्धि नहीं होती, तब तक उस देश की समृद्धि नहीं होती और कर्ण सिंह जी जो यह विधेयक लाए हैं मैं इसका स्वागत करना चाहूँगी। भारत में अनेकानेक भाषाएं हैं, कम से कम चार हजार से अधिक तो यहां बोलियां हैं। यहां के बारे में यह कहा गया है कि घर कोस पर पानी बदले, कोस-कोस पर वाणी अर्थात् थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बोलियां बदल जाया करती हैं और लोग एक बोली से दूसरी बोली को समझते हुए अपनी मीलों लंबी यात्रा तय कर लिया करते हैं। इसलिए भाषा तो ज्ञान को यहन करने का साधन है। भाषा इसलिए बनी है कि तू और मैं को जोड़ सके, तुम और मैं को एकीकार कर सके। लेकिन इस देश में जहां अन्य बहुत सी चीजों के लिए झगड़े और उत्पात शुरू हो जाते हैं, वहां भाषा को लेकर भी हो गए हैं और वह भाषा जो तू और मैं को जोड़ने का साधन रही है, कई बार तू-तू, मैं-मैं का साधन हो जाती है, जैसे कि अभी जब अहलुयालिया जी भोजपुरी का कुछ बता रहे थे। अच्छी बात है, भोजपुरी इतनी समृद्ध भाषा है और उसकी और अधिक उन्नति की बात भी हमें सोचनी चाहिए, तो अन्य कुछ लोगों को लग रहा था कि आप ..... आप को तो डोगरी के बारे में बोलना था, आप मैथिली अथवा भोजपुरी के बारे में इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं।

उपसभाधक्ष महोदय, मैं अनुवाद पढ़ने और अनुवाद करने में बहुत अधिक आनंद अनुभव करती हूं। इस बीच मुझे त्रिपुरा जाने का मौका मिला। मैं ने वहां देखा कि त्रिपुरा की अपनी जुबान "कक्कबरक" भाषा है अर्थात् जनता की भाषा है जबकि आम लोग जानते हैं कि वहां के लोग बगला भाषा ही बोला करते हैं। महोदय, मैं वहां 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने के सिलसिले में गयी थी। वहां मैं ने कई लोगों से बात की और मुझे इस बात का दुख है कि अनेक प्रदेशों के लोगों को यह पता नहीं है कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस यू.एन.ओ. ने अपने-अपने प्रदेशों की भाषाओं को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। लोग सोचते हैं कि शायद बागलादेश के कहने से यह हुआ है, इसलिए बंगला को मातृभाषा मानकर, मातृभाषा दिवस मनाया जाए। यह दुख की बात है कि बहुत से प्रदेशों में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया भी नहीं गया है।

महोदय, मैं डा. कर्ण सिंह जी के इस विधेयक का समर्थन करना चाहूँगी। जम्मू-काश्मीर के लोगों की बहुत दिनों से यह माग रही है कि डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाए। महोदय, भारत की जितनी अधिक भाषाओं को इस प्रकार से समृद्धि दी जाएगी, देश उतना अधिक समृद्ध और धनी होगा अन्यथा कम्प्यूटर के इस युग में न जाने कितनी भाषाएं विलयन का शिकार हो रही हैं। इस पर अगर सरकारी समर्थन और सहयोग नहीं मिले, मान्यता नहीं मिले तो न जाने कितनी भाषाएं सचमुच विलुप्त प्रायः हो जाएंगी। महोदय, मैं एक ऐसी भाषा को जिस की अपनी लिपि है और साहित्य अकादमी ने भी जिसे मान्यता दे रखी है, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन करती हूं। महोदय, इस भाषा में लिखे एक उपन्यास "भूले भटके लोग" मुझे पढ़ने का मौका मिला था। उस का अनुवाद पढ़ने के बाद उस प्रदेश के बारे में मुझे जितना अधिक ज्ञान हुआ, मैं सोचती हूं कि यदि इस भाषा को मान्यता मिल जाती है तो इस की अनेकानेक रचनाएं अनुदित होकर हमारे सामने आएंगी और हम भारत के लोग ऐसी और अनेक भाषाओं से परिचित होंगे।

महोदय, मुझ से पहले अभी अहन्तुवालिया जी ने कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए। कुछ दिन पहले डा. कर्ण सिंह जी यह चाहते थे कि कम-से-कम एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी बने जो भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य के बारे में बातचीत कर के उस की समृद्धि और सम्पन्नता के बारे में सोचें। महोदय, अत मैं यह कहते हुए कि भाषा की वंदना के इन सुरों में एक सुर मेरा भी मिला लो, इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. रामदेव भंडारी) :** माननीय मंत्री जी।

**श्री बालकर्णि बैरागी :** उपसभाध्यक्ष जी, साक्षात् ईश्वर बोल रहे हैं, उन्हें तो ईश्वर की भाषा में बोलना चाहिए।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** उपसभाध्यक्ष जी, मेरी यही कमज़ोरी है कि न मैं आप की तरह बोल सकता हूं, न डा. कर्ण सिंह की तरह बोल सकता हूं, न बहन माहेश्वरी जी की तरह जो प्रोजेक्ट में पोट्टी बोल सकती हैं और न सिंघडी साहब की तरह विद्वत्पार्पण दग से बाल सकता हूं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस हाउस में जिसे एल्डर हाउस कहा जाता है, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा विद्वत हाउस और कोई हो नहीं सकता। मेरा सौभाग्य है कि आज डा० कर्ण सिंह जी के इस बिल के सिलसिले में मेरी यहां उपस्थिति दर्ज हुई और मुझे कविता और ऐसे विद्वत्से से भरे भाषण सुनने का मौका मिला।

महोदय, हालांकि यह बिल बहुत छोटा सा है और उस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, सरकार की ओर से भी कोई मतभेद नहीं हो सकता और न राजस्थानी भाषा के लिए मतभेद हो सकता है जोकि डा. सिंघडी जी का बिल है, लेकिन सरकार की एक मुश्किल जरूर है कि न केवल ये दो बिल बल्कि यार जुबाने जो पहले शामिल हो चुकी हैं और इन भाषाओं की सख्त्या 14 से 18 हो गयी है, अभी भी 32 जुबानों के बारे में डिमाड पेंडिंग है। हम समझते थे कि जब रिव्यु कमीशन बैठा है और यह मैटर भी उन को रेफर किया गया था, शायद रिव्यु कमीशन की तरफ से कोई ऑब्लेक्टिव क्राइटरिया, कोई एक्सेट्रेबल क्राइटरिया कि किस क्राइटरिया पर कौन-कौन सी जुबान आठवीं शेड्यूल में आएंगी ... मेरी जानकारी में उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन सरकार ने अक्टूबर, 1996 में एक कमेटी मुकर्रर की थी, जो आफीसर्स की कमेटी थी और उनको कहा गया था कि एटथ शेड्यूल में शामिल करने के लिए जितनी भी लेंगुएज की डिमाड आ रही है, उनको देखकर कोई क्राइटरिया निश्चित करे। उस कमेटी ने क्राइटरिया तय करने के लिए काम किया। उन्होंने हिरटी भी देखी कि किस बेसिस पर कर्सटीचुएट असेम्बली ने सविधान बनाते वक्त किस क्राइटरिया के ऊपर इन 14 लेंगुएज को शामिल किया था। इसके बाद 15वीं लेंगुएज रिसीफी के से शामिल हुई थी क्योंकि जब यह सिंधी शामिल हुई थी तो वह किसी पात की भी नहीं थी, कोई एकाडमी के तौर पर भी नहीं थी, लेकिन उसको शामिल किया गया और यह शायद 1965 में शामिल की गई थी। उसके बाद तीन और लेंगुएज इसमें शामिल की गई थीं। उस कमेटी ने सारा क्राइटरिया देखा कि उस भाषा को ज्यादा लोग बोलते हों, उस भाषा को एकाडमी रिकोग्नाइज करती हो, वह भाषा रक्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हो, सब चीजों का देखते हुए वह कमेटी किसी एक यूनिनिमस कनकल्यूजन पर, किसी एक ऐसे नीतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि कौन सा क्राइटरिया वह हमें सुझाए। आखिर उसने रिकमेंडेशन की कि चूंकि इतनी हमारी भाषाएँ हैं, मेरी जानकारी में 114 भाषाएँ इस देश में बोली जाती हैं और अगर डायलेक्ट की बात करें तो तीन हजार, चार हजार, कितनी ही कही जाती हैं, लेकिन दो सौ, तीन

सी से ज्यादा डायलेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, डायलेक्ट को भाषा न माना जाए. उसे भाषा के रूप में न माना जाए तब भी 114 भाषाएँ हैं और 32 भाषाओं की डिमांड अब भी सरकार के पास पैंडिंग पड़ी है, इसलिए उस कमेटी ने यह फैसला किया कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, जिसमें एकाडिमिशियन्स, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, जो अलग अलग लेंगुएज के हों, उन सबको शामिल करके उनको पूरा अधिकार दिया जाए कि वह जिसको भी शामिल करना चाहें, जिस स्पेशलिस्ट की भी राय लेना चाहें, याहे वह साहित्यकार हों या वह कवि हों, सब की सलाह लेकर क्राइटरिया बनाए और उस क्राइटरिया के मुताबिक इन सब भाषाओं की डिमांड पर विचार किया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाऊस को यकीन दिला सकता हूँ। जब मैं यहाँ सदन में भाषण सुन रहा था, जैसे डा. कर्ण सिंह साहब ने शुरू किया, उसके बाद मूल चन्द भीणा जी, परमार जी बोले और सरला माहेश्वरी जी तो वैसे पाइट्री नहीं बोली, उनका प्रोज था, लेकिन वह पाइट्री थी सारी की सारी और उसके बाद बालकवि द्वेरागी जी, वह तो पाइट ही ही, उसके बाद डा. सिंघवी जी बोले, मुझे ऐसा भहसूस हो रहा था कि वह भी एक नजर में नज़म ही बोल रहे थे, वह भी पाइट्री बोल रहे थे प्रोज में। किस किस का नाम लूँ, रशीद साहब ने भी बोला। डोगरी या वह भाषाएँ, जिनकी मांग आ रही है, जो सरकार के सम्मुख हैं, सबका एग्रीमेंट था, सबके यह स्वर थे कि इन भाषाओं को एटथ शेड्युल में शामिल किया जाए, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारे कर्स्टीट्यूशन में भी प्रोवीजन है, एटथ शेड्युल में जो भाषाएँ हैं, हिंदी को एनरिच करने के लिए उन्हीं भाषाओं के शब्दों को शामिल किया जाए और उसे ज्यादा अच्छा बनाया जाए, ज्यादा रिच बनाया जाए, तो न तो हिन्दी से कोई अपोजीशन है, न हिन्दी वाले इसको कहीं अपोज कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि कोई क्राइटरिया हमारे पास आज नहीं है जिसके मुताबिक हम यह कह सकें कि जितनी डिमांड आई है, उनमें से किस-किस लैंग्वेज को शामिल किया जाए। और भी आ सकती हैं, अभी 32 पैंडिंग हैं, इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसको जल्दी किया जाए, लेकिन जो सब-कमेटी की, आफिसर्स कमेटी की रिकमेंडेशन्स आई थीं, जिन्होंने यह कहा था कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, उस आफिसर्स कमेटी की सात-आठ मीटिंग्स हुई थीं और आखिर में कई क्राइटरियाज को सामने रखते हुए वे इस नतीजे पर नहीं पहुँच सके थे, वे कोई ऐसा कन्कलूप्जन नहीं ढाकर सके थे कि कौन सा क्राइटरिया हो और वे यह महसूस करते थे कि इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, इसमें स्पेशलिस्ट्स को ऐसोसिएट करना होगा, इसमें साहित्यकारों को शामिल करना होगा और उनकी सलाह से कोई ऐसा क्राइटरिया बनाना होगा जिससे हम इस बात का फैसला कर सकें कि कौन सी लैंग्वेज 8वें शेड्युल में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। अनेक कविताएँ या किताबें डा. साहब ने लिखी हैं। आज भी 22 लैंग्वेज को तो साहित्य अकादमी एक्सपर्ट करती है, आज भी डेवलपमेंट के लिए किसी भी लैंग्वेज की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की यह विडम्बना भी कई दफा सामने आती है। हिमायत वाले भी इस डोगरी भाषा के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जम्मू-कश्मीर वाले भी समर्थन कर रहे हैं।

**श्री मूल चन्द भीणा :** तब कोई हाई पावर कमेटी नहीं थी, जब चार भाषाएँ और जुड़ी थीं। इसलिए यह इसको टालने वाली बात है कि हाई पावर कमेटी नहीं बनी। सरकार इसके लिए एक बिल लाए और हाई पावर कमेटी के नाम पर इसको टाला नहीं जाए। सरकार की ओर से एक बिल आ जाए। सारा हाऊस यूनेनिमसली इसको सपोर्ट कर रहा है तो सरकार को भी मान लेना चाहिए।

2.00 p.m.

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** टालने वाली बात नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता, सरकार को भी इससे कोई इखलाफ नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि एक फैसला हुआ हुआ है और उस फैसले के मुताबिक एक हाई-पावर कमेटी बनानी है। हम यह कह सकते हैं कि उसे बहुत जल्दी बनाकर और उसके क्राइटरिया के बारे में बहुत जल्दी फैसला करके, इसे किया जाना चाहिए क्योंकि 32 जबानों के बारे में तो आज मांग है और भी जबानों की मांग आ सकती है। इसलिए इन सबके लिए कोई तो क्राइटरिया हमारे सामने होना चाहिए। अहलुवालिया जी ने भी इस बारे में जिक्र किया कि एक हाई-पावर कमीशन होना चाहिए, उसके कारण उन्होंने भी बताए। तो मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी वह कमीशन या जिसको हाई पावर कमेटी कहते हैं, उसे बनाकर उनको एक अधिक दे दी जाए कि दो महीने में, चार महीने में, छ: महीने में जल्दी से जल्दी वे अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि उस रिपोर्ट के मुताबिक न केवल डोगरी को, न केवल राजस्थानी को, न केवल उन 32 जबानों को, जिनके बारे में मांगें आई हुई हैं, बल्कि सबके बारे में वे एक क्राइटरिया दे दें तो सरकार के लिए काम आसान हो जाएगा और उस क्राइटरिया के मुताबिक जो भी लैंग्वेज उस बैच मार्क के हिसाब से पूरी उतरेगी, उन सबके लिए कास्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। सरकार इससे शर्करा नहीं करना चाहती, सरकार इसको टालना भी नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती कि इसको टाला जाए। इसलिए एक हाई पावर कमेटी बनानी है, यह मंशा नहीं है, मंशा सिर्फ इतनी है कि कोई आव्वेदित्व क्राइटरिया, कोई मिनिमम बैच मार्क हमारे पास अवैलेबल तो हो और वह जो क्राइटरिया होगा, वह स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, साहित्यकार आदि सब लोगों की ऐसोसिएशन से हाई पावर कमेटी निश्चित करेगी। मैं यह बात कह रहा था कि जम्मू-कश्मीर के सब लोग डोगरी बोलते हैं, एक करोड़ लोग हिमाचल और पंजाब को मिलाकर डोगरी बोलते हैं लेकिन यह एक विडम्बना है कि अभी भी जम्मू-कश्मीर सरकार ने सैकिंड लैंग्वेज भी डोगरी नहीं रखी है, फर्ट लैंग्वेज तो उर्दू है लेकिन दूसरी लैंग्वेज भी डोगरी नहीं रखी है।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया :** यह पोलिटिकल डिसीजन है, जैसे हरियाणा ने पंजाबी न रखकर तेलुगु रखी। तो यह पोलिटिकल डिसीजन है।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** कई दफा यह विडम्बना होती है कि जिस लैंग्वेज की इतनी रिचैनेस है, जिसको इतने ज्यादा लोग बोलते हैं, जिस लैंग्वेज का इतना बड़ा लिट्रेचर है, उस लैंग्वेज को आफिशली जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल प्राप्ता। कास्टिट्यूशन में स्टेट को कहीं मुमानित नहीं है, एक या एक से अधिक लैंग्वेज को स्टेट अपनी आफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, चाहे वह लैंग्वेज 8वें शैड्यूल में न भी हो।

मैं यह समझता हूं कि इस डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में शामिल करने की जो मांग आई है, वह जायज़ मांग है और मैं भी खुद इस बात का अहसास करता हूं कि किसी भी तरफ से इसमें विरोध का या किसी और तरह का स्पर्धनहीं निकला, सबने इसे सपोर्ट किया है। मैं भी यह चाहता हूं कि इसका कोई क्राइटरिया जल्दी बने, इस पर जल्दी फैसला हो। इसलिए इन थीजों के महेनजर में डा. कर्ण सिंह से यह दरखास्त करूंगा कि वे अपना बिल वापस ले लें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं पर्सनल लेवल पर यह देखूंगा कि जल्दी से जल्दी यह हाई-पावर कमेटी बन जाए और यह जल्दी से एक ऑफाइसिट्व क्राइटरिया निश्चित कर दे ताकि जितनी डिमांडज सरकार के पास पैठिंग है, उन सबका फैसला कर दिया जाए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. रामदेव मंडारी) :** धन्यवाद मंत्री जी। सिंधवी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं?

**डा. लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो बात कही है, वह कुछ सदाशयता का परिचय देती है लेकिन डा. जानसन ने कहा था कि - "Committee consists of individuals who can do nothing individually, and decide collectively that nothing can be done." ऐसी कमेटी नहीं चाहिए। कमेटी अगर बननी है तो आप कहिए कि आप 10-15 दिनों में कमेटी को नोटिफाई करेंगे और 2 महीने के अंदर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अगर कमेटी टाइम-बाउंड नहीं होगी तो उस कमेटी का कुछ फायदा नहीं है।

**श्री ईश्वर दयाल स्थानी :** मैंने पहले ही 'कहा था कि उसमें विलंब न हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी हम कमेटी बनाएंगे और इसकी अवधि मुकर्रर करेंगे ताकि 2 महीने, 4 महीने में वह अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि एक क्राइटीरिया तो हमारे सामने उपलब्ध हो जिसके आधार पर हम यह काम कर सकें।

**डा. कर्ण सिंह :** उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सारी बहस से भुज्जे बड़ा संतोष हुआ है और मैं संदर्भों का कृतज्ञ हूं कि इस सदन के हर सदस्य ने और इस सदन के हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने इस बिल का बड़े विशाल हृदय से समर्थन किया और उन्होंने स्वीकार किया कि डोगरा कम्युनिटी को और डोगरी भाषा को अपना स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। यहां बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुईं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मंत्री जी के उत्तर से मैं बहुत निराश हूं। मैं भी काफी उम्र तक सरकार में रहा हूं। मैंने बहुत सी कमेटियां देखी हैं। जैसा कि डा. सिंधवी ने कहा कि आगर कमेटीबाजी के घककर में आप इस बात को टालेंगे तो यह मसला कभी हल नहीं होगा। जब आपने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान में डाला था तो क्या आपने कमेटी बनाई थी? हमारी डोगरी भाषा के समय ही आपको कमेटी बनाने की याद आ रही है? मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब डोगरा फौज सरहद पर खड़ी होकर गोलियों का सामना कर रही है तो क्या वह आपकी कमेटी से पूछेगी कि भुज्जे इस गोली का सामना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?

महोदय, जम्मू-कश्मीर की राजनीति बड़ी अद्भुत है। मैं उसके विस्तार में न जाऊं तो अच्छा है लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी ने सारीं चीज़ को डाइल्फूट करने का प्रयत्न किया और कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, उसमें विशेषज्ञ बिठाएंगे और तब निर्णय करेंगे, यह ठीक नहीं है। इस कमेटीबाजी से कुछ नहीं होगा। यह बड़ी सीधी सी बात है। डोगरी भाषा का जम्मू-कश्मीर के संविधान में अपना एक स्थान है। राष्ट्र के संविधान में भी इसका स्थान होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय संविधान में स्थान न देना, डोगरीभाषी देशभक्त लोगों के प्रति घोर अन्याय और अपमान है।

इसलिए मैं मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया कि हम कमेटी बिठाएंगे और वह निर्णय देगी, इससे बात सुलझेगी नहीं। ये कभी दो हजार भाषाओं की बात कर रहे हैं, कभी दो सौ भाषाओं की बात कर रहे हैं, कभी पचास भाषाओं की बात कर रहे हैं। यह तो टालने वाली बात है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। डोगरी लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे।

महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात करें। वे जानते हैं कि इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, इसके पीछे क्या राजनीति है। अगर आपने इस काम को नहीं किया तो लोगों के हृदय में पीड़ा होगी। पहले ही सरहदों के लोग बहुत पीड़ा सहन कर रहे हैं, कश्मीरी भाई तबाह हो रहे हैं, लद्धाखी लोग तबाह हो रहे हैं, डोगरा लोग तबाह हो रहे हैं। आप इस पीड़ा को क्यों बढ़ाते हैं? आपने जो यह कमेटी बात कही है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे परम मित्र डा. सिंघवी भी स्वयं बहुत सी कमेटियों के अध्यक्ष रहे हैं, वे कमेटियों में बैठे भी हैं, वे जानते हैं कि जब कमेटियों में बहस शुरू होती है तो कोई कहता है कि 50 करो, कोई कहता है कि 10 करो। आपने तीन भाषाएं अभी दो साल पहले बढ़ाई थी। उसमें आपने कोई कमेटी बौरह नहीं बनाई। मुझे लगता है कि डोगरी के विषय में अपको कमेटी बनाने में नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि आप इस मसले को जल्द से जल्द सरकार के सामने, यूनियन केबिनेट के सामने रखेंगे और उनसे यह निर्देश दिलाएंगे ताकि इसी वर्ष के अन्त तक यह फैसला यहां आ जाए। अगर यह बात हो जाती है तो मैं अपना बिल विद्धा करने के लिए तैयार हूँ इस आशा से कि हम इसी वर्ष जो यह बहुत दिनों से अन्यायपूर्ण परिस्थिति चल रही है, उसको न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** उपसभाध्यक्ष जी, डा. साहब ने जो कहा मैंने पहले ही खुद कहा था कि इसको टालने की बात नहीं है क्योंकि सरकार ने एक फैसला किया हुआ है। जहां तक यह तीन भाषाएं शामिल करने की बात थी वह भाषा 1992 में शामिल की गई थी। हमारी सरकार ने नहीं की थी और 1965 में सिंधी शामिल हुई थी। 1992 में यह तीन भाषाएं शामिल की गई। उसके बाद अभी तक कोई भाषा शामिल नहीं हुई। इसलिए 1996 में जो सब-कमेटी बनी थी.....(व्यवधान)

**डा. कर्ण सिंह :** हमारी सरकार आएगी तब तक आप रुक रहे हैं?

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** वह 1992 में हुआ था और 1992 से 1996 तक कुछ नहीं हुआ। 1996 के बाद 1997 में जो कमेटी बैठी उससे रिकमेंडेशन ली गई। यह जो आप विश्वास चाहते हैं मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ उपसभाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सारे हाउस को विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा चाहे कमेटी बनाएं, हाई पॉवर कमेटी बनाकर जल्द से जल्द फैसला करें, चाहे उपर के स्तर पर फैसला करें या जिस तरह भी करें इन दोनों भाषाओं के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो मार्ग हमारी सरकार के सामने हैं उन सबके बारे में कोई न कोई फैसला जल्दी कर दिया जाएगा। यह विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ।

**डा. कर्ण सिंह :** उपसभाध्यक्ष जी, जब यह विश्वास दिला रहे हैं तो फिर मैं अपना बिल विद्धा करता हूँ। देखता हूँ कि कहां तक यह अपने वचन पर कटिबद्ध निकलते हैं।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. RAM DEO BHANDARY):** Does he have the leave of the House to withdraw the Bill?

*The Bill was, by leave, withdrawn.*

**श्री बालकवि दैरागी :** बड़े उदास मन से वापिस लिया है।